

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

(भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन गठित)

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

(Constituted under I. M. C. C. Act, 1970)

वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखा

(1984-85)



**Annual Report and Audited Accounts
(1984-85)**


1 ई/6, स्वामी रामतीर्थ नगर, नई दिल्ली-110055

1 E/6, Swami Ramtirtha Nagar, New Delhi-110055

भारतीय चिकित्सा के-दीय परिषद्

(मई, 1984 से पुनर्गठन)

अध्यक्ष



भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं

लेखा परीक्षित लेखा

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970 के अधीन गठित एक सांविधिक निकाय है।

प्रथम भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् का गठन 1971 में किया गया था। परिषद् के मुख्य कार्य निम्न हैं :—

1. भारतीय चिकित्सा पद्धति यथा आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी के पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा के न्यूनतम मानक विहित करना।
2. भारतीय चिकित्सा की चिकित्सीय अर्हताओं की मान्यता से सम्बन्धित विषयों पर केन्द्र सरकार को परामर्श देना।
3. भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर का रख रखाव और समय-समय पर उसे परिशोधित करना।
4. भारतीय चिकित्सा के चिकित्साभ्यास को विनियमित करना और भारतीय चिकित्सा के चिकित्साभ्यासियों के आचरण एवं शिष्टाचार तथा आचार संहिता के मानक विहित करना।

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 33 उपखण्ड (ii) दिनांक 7-5-1984 में भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार केन्द्रीय परिषद् का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठित केन्द्रीय परिषद् और उसकी विभिन्न समितियों के सदस्य निम्न हैं :—

आयुर्वेद

1. डा० दुवागुण्टा राधाकृष्णमूर्ति
2. डा० प्रतिवादी भयंकर शतकोपाचार्य
3. डा० सुकुमार भट्टाचारजी
4. डा० देवव्रत नारायण सिंह
5. डा० महेश्वर पाण्डे

6. डा० इन्द्र मोहन झा
7. डा० अलख नारायण सिंह
8. डा० जनार्दन नन्द कुमार दवे
9. डा० डी० आर० पटेल
10. डा० कृष्णचन्द्र शर्मा
11. डा० गुलशन राय शर्मा
12. कविराज भूपेन्द्र नाथ गुप्त
13. वैद्य गौरी शंकर द्विवेदी
14. वैद्य पंचैया होसमठ
15. डा० ए० सी० राहुल कुमार
16. डा० के० माधवन नायर
17. वैद्य महेश दत्त शर्मा
18. डा० प्रसन्न कुमार जैन
19. वैद्य हरिकृष्ण एस० जोशी
20. डा० संगप्पा इरप्पा नागराल
21. डा० धनश्याम मंगलदास भावसार
22. डा० स्वप्नेश्वर पण्डा
23. वैद्य प्रमोद कुमार तिवारी
24. वैद्य मदन मोहन पुष्करणा
25. डा० वी० नारायण स्वामी
26. डा० राम प्रकाश गुप्ता
27. डा० हुकम चन्द्र शर्मा
28. डा० रामकुमार शर्मा
29. डा० प्रेमदत्त शर्मा
30. डा० महेन्द्र दत्त शर्मा
31. डा० आनन्द राय
32. डा० के० भूपाल रेड्डी (सदस्यता समाप्त)
33. डा० वी० कृष्णमूर्ति
34. डा० टी० श्रीनिवास राव
35. डा० सत्य प्रकाश दीक्षित

36. डा० तरणीकान्त तालुकदार
37. वैद्य शिवकुमार व्यास
38. वैद्य हीरुभाई कुबेरभाई पटेल
39. डा० ब्रह्म स्वरूप शर्मा
40. डा० रामदेव (दिनांक 5-9-84 से सदस्यता समाप्त)
41. डा० एल० चिक्काराजन्ना
42. डा० गुरुपादप्पा नन्दवासप्पा बिरादर
43. डा० आर० आर० भट्ट (त्यागपत्र)
44. डा० एस० एम० अगादी
45. डा० पी० शंकरन नायर
46. डा० रामविलास सोहगोरा (सदस्यता समाप्त)
47. डा० भाग्यवन्ती वर्मा
48. डा० धीरेश चन्द्र दीक्षित (सदस्यता समाप्त)
49. डा० महादेव प्रसाद पाण्डे
50. डा० सुरेश चन्द्र सक्सेना
51. डा० विजय शंकर त्रिवेदी
52. वैद्य श्रीराम शर्मा
53. वैद्य श्रीनिवास दत्तात्रेय जालुकर
54. वैद्य पं० शिवकरण शर्मा छांगाणी
55. वैद्य पाण्डुरंग हरि कुलकर्णी
56. वैद्य श्री कृष्ण गोविन्द फडके
57. प्रो० हरिशंकर पाण्डे
58. डा० रघुवर दत्त शर्मा
59. डा० पी० पी० शर्मा (सदस्यता समाप्त)
60. वैद्य राम प्रकाश स्वामी
61. डा० टी० अच्युतन कुट्टी नायर
62. वैद्य हरिचन्द्र शुक्ल
63. वैद्य हरिहर नाथ उपाध्याय
64. डा० लक्ष्मण चन्द्र सेनगुप्ता (दिनांक 5-11-85 को दिवंगत)
65. वैद्य शिवकुमार मिश्र
66. वैद्य जगन्नाथ मिश्र

67. डा० पी० के० देवनाथ
68. डा० आर० सी० चतुर्वेदी
69. वैद्य हरिनारायण स्वामी
70. प्रो० वी० जे० ठाकर
71. डा० रमेश मिश्रा
72. प्रो० प्रियव्रत शर्मा
73. डा० एस० टी० गूजर
74. वैद्य देवेन्द्र कुमार त्रिगुणा
75. कविराज नानक चन्द शर्मा
76. वैद्य के० एस० वारियर
77. डा० बी० ए० हीरेमठ
78. डा० सत्यपाल गुप्ता
79. डा० डी० एल० नारायणा
80. वैद्य के० सदाशिव शर्मा
81. वैद्य चन्द्र शेखर गौड़
82. कविराज एम० सी० नन्दा
83. वैद्य पी० सी० भट्टाचारजी

सिद्ध

1. डा० डी० इरामथा वैद्यन
2. डा० जी० अन्नास्वामी
3. डा० सी० पी० रामनाथन
4. डा० सी० एस० उथमारायन
5. डा० ए० आनन्द कुमार
6. डा० पी० गुरु शिरोमणि (दिनांक 9-2-85 को त्यागपत्र दिया)
7. डा० के० पलानिचामी

पूनानी

1. डा० नजीर अहमद सिद्दीकी (दिवंगत)
2. हकीम मोहम्मद अशरफ करीम
3. डा० मदन सरूप गुप्ता
4. हकीम मोहम्मद उमर

5. श्री धर्म चन्द
6. डा० दौलत राम भराज
7. डा० बन्सी लाल पण्डिता
8. डा० अब्दुर्रहमान
9. हकीम अब्दुल मुजीब खान (दिवंगत)
10. हकीम अब्दुल मोबीन खान
11. हकीम वेद प्रकाश वर्मा
12. हकीम मोहम्मद इकबाल खान
13. प्रो० हकीम सैय्यद खलीफ़थुल्लाह
14. हकीम एम० टी० खान
15. हकीम फजलुर्रहमान
16. डा० ए० एस० मकबूल अहमद (सदस्यता समाप्त)
17. हकीम मोहम्मद अहमद लारी
18. डा० हैदर
19. डा० एस० के० खादरी
20. प्रो० हकीम मोहम्मद तैयब
21. हकीम एम० ए० रज़्जाक
22. हकीम अब्दुल हमीद
23. हकीम फ़ैज़ान अहमद
24. हकीम फ़ैय्याज़ आलम
25. डा० जे० डी० सन्दरवाले

पुनर्गठित भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की प्रथम बैठक 17 से 19 जुलाई, 1984 को सम्पन्न हुई जिसमें निम्न पदाधिकारी चुने गए :—

1. प्रो० हकीम सैय्यद खलीफ़थुल्लाह—अध्यक्ष
2. डा० रामकुमार शर्मा—उपाध्यक्ष (आयुर्वेद)
3. डा० ए० आनन्द कुमार—उपाध्यक्ष (सिद्ध)
4. हकीम एम० ए० रज़्जाक—उपाध्यक्ष (यूनानी)
5. डा० एस० आई० नागराल—सभापति, शिक्षा समिति (आयुर्वेद)
6. डा० ए० आनन्द कुमार—सभापति, शिक्षा समिति (सिद्ध)

7. हकीम मुहम्मद तैयब—सभापति, शिक्षा समिति (यूनानी)
8. डा० प्रसन्न कुमार जैन—सभापति, पंजीयन समिति ।
9. वैद्य महेशदत्त शास्त्री—सभापति, विनियम समिति ।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 9 (i) के अनुसार केन्द्रीय परिषद् में निम्न मुख्य समितियाँ हैं—

- (1) आयुर्वेद समिति
- (2) सिद्ध समिति
- (3) यूनानी समिति

उपर्युक्त समितियाँ धारा-3 की उपधारा (i) के उपबन्ध (क) एवं (ख) के अधीन निर्वाचित तथा उपबन्ध (ग) के अधीन मनोनीत आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों से युक्त होती है ।

धारा-3 की उपधारा (3) के अधीन आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों के उपाध्यक्ष क्रमशः ऊपर संदर्भित समितियों के प्रधान हैं ।

ऐसे सामान्य या विशिष्ट निदेशों जो समय-समय पर केन्द्रीय परिषद् के अधीन प्रत्येक ऐसी समिति आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी चिकित्सा पद्धतियों—जैसा भी प्रकरण हो, से सम्बन्धित किसी भी विषय को केन्द्रीय परिषद् की सक्षमता में करने के लिए समर्थ है ।

उपर्युक्त मुख्य समितियों के अतिरिक्त केन्द्रीय परिषद् द्वारा निम्न समितियों का गठन परिषद् के विभिन्न कार्यों को सम्पन्न करने के लिए किया गया :—

कार्यकारिणी समिति

अधिनियम तथा उसके अधीन विनिर्मित नियमों एवं विनियमों के ढाँचे में केन्द्रीय परिषद् के द्वारा निर्धारित सामान्य नीति एवं सिद्धान्तों के अनुरूप केन्द्रीय परिषद् के कार्यों को निपटाने हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (सामान्य) विनियम, 1976 के विनियम 5 के अधीन कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया । समिति में भारतीय चिकित्सा अर्थात् आयुर्वेद, यूनानी एवं सिद्ध पद्धतियों का पूर्ण प्रतिनिधित्व है ।

कार्यकारिणी समिति के निम्न सदस्य हैं :—

सभापति	प्रो० हकीम सैय्यद खलीफ़थुल्लाह
सदस्य	डा० रामकुमार शर्मा (उपाध्यक्ष—आयुर्वेद)
	डा० ए० आनन्द कुमार (उपाध्यक्ष—सिद्ध)
	हकीम एम० ए० रज़्जाक (उपाध्यक्ष—यूनानी)
	डा० एस० टी० गूजर

वैद्य प्रमोद कुमार तिवारी
वैद्य श्रीराम शर्मा
डा० के० माधवन नायर
प्रो० हकीम मोहम्मद तैयब
हकीम वेद प्रकाश शर्मा
डा० के० पलानिचामी

विनियम समिति

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन समय-समय पर आवश्यक केन्द्रीय परिषद् के विभिन्न विनियमों को बनाने तथा उससे सम्बन्धित मामलों पर विचार करने के लिए परिषद् द्वारा विनियम समिति का गठन किया गया।

विनियम समिति में निम्न सदस्य हैं :—

सभापति	वैद्य महेश दत्त शर्मा
सदस्य	प्रो० हकीम सैय्यद खलीफ़थुल्लाह (अध्यक्ष, भा० चि० के०प०)
	डा० रामकुमार शर्मा (उपाध्यक्ष—आयुर्वेद)
	डा० ए० आनन्द कुमार (उपाध्यक्ष—सिद्ध)
	हकीम एम० ए० रज़्जाक (उपाध्यक्ष—यूनानी)
	वैद्य मदन मोहन पुष्करणा
	वैद्य पाण्डुरंग हरि कुलकर्णी
	वैद्य हरिनारायण स्वामी
	वैद्य हरिश्चन्द्र शुक्ल
	डा० स्वप्नेश्वर पण्डा
	वैद्य पंचैया होसमठ
	डा० महेन्द्र दत्त शर्मा
	डा० जनार्दन नन्द कुमार दवे
	डा० टी० अच्युतन कुट्टी नायर
	डा० प्रतिवादी भयंकर शतकोपाचार्य
	डा० महेश्वर पाण्डे
	डा० टी० श्रीनिवास राव
	डा० गुलशन राय शर्मा
	डा० दुबागुण्टा राधाकृष्णमूर्ति
	डा० जे० डी० सन्दरवाले
	डा० ए० एस० मकबूल अहमद (सदस्यता समाप्त)

डा० बन्सी लाल पण्डिता
डा० अब्दुर्रहमान
हकीम धर्म चन्द
डा० डी० इरामया वैद्यन

पंजीयन समिति

परिषद् ने मान्यता सम्बन्धी मामलों को देखने और भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की अनुसूची में विभिन्न चिकित्सीय अर्हताओं को समाविष्ट करने तथा इस विषय में अनुशासन करने के लिए पंजीयन समिति का गठन किया। पंजीयन से सम्बन्धित विषयों पर विचार करना भी इस समिति के अधिकार में है।

पंजीयन समिति में निम्न सदस्य हैं :—

सभापति	डा० प्रसन्न कुमार जैन
सदस्य	प्रो० हकीम सैय्यद खलीफ़थुल्लाह (अध्यक्ष, भा० चि० के०प०)
	डा० राम कुमार शर्मा (उपाध्यक्ष—आयुर्वेद)
	डा० ए० आनन्द कुमार (उपाध्यक्ष—सिद्ध)
	हकीम एम० ए० रज़्जाक (उपाध्यक्ष—यूनानी)
	प्रो० आर० सी० चतुर्वेदी
	डा० घनश्याम मंगलदास भावसार
	डा० कृष्ण चन्द शर्मा
	वैद्य हरिकृष्ण जोशी
	डा० पी० के० देवनाथ
	डा० रामविलास सोहगौरा (सदस्यता समाप्त)
	वैद्य शिवकुमार व्यास
	डा० प्रेमदत्त शर्मा
	डा० ए० सी० राहुल कुमार
	डा० डी० आर० पटेल
	डा० बी० ए० हीरेमठ
	डा० एल० चिक्काराजन्ना
	डा० रामप्रकाश गुप्ता
	डा० इन्द्र मोहन भा

डा० पी० गुरु शिरोमणि (त्यागपत्र दिया)
हकीम अब्दुल मुजीब खान (दिवंगत)
हकीम एम० टी० खान
हकीम मुहम्मद उमर
डा० दीलत राम भराज
हकीम फ़ैज़ान अहमद

शिक्षा समिति (आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी)

शिक्षा समितियां, आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी की शिक्षा से सम्बन्धित समस्त कार्यों को करने में सक्षम हैं।

आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी की शिक्षा समिति के निम्न सदस्य हैं :—

शिक्षा समिति (आयुर्वेद)

सभापति
सदस्य

डा० संगप्पा इरप्पा नागराल
डा० रामकुमार शर्मा (उपाध्यक्ष—आयुर्वेद)
डा० भाग्यवन्ती वर्मा
वैद्य श्रीराम शर्मा
वैद्य देवेन्द्र कुमार त्रिगुणा
वैद्य पं० शिवकरण शर्मा छांगाणी
वैद्य नानक चन्द शर्मा
वैद्य राम प्रकाश स्वामी
डा० तरणीकान्त ताल्लुकदार
डा० के० भूपाल रेड्डी (सदस्यता समाप्त)
डा० रामप्रकाश गुप्ता
डा० जी० एन० बिरादर
डा० आनन्द राय
डा० सत्यपाल गुप्ता
वैद्य श्रीकृष्ण गोविन्द फड़के
डा० एस० एम० अंगादी
डा० हुकुम चन्द्र शर्मा
डा० एस० पी० दीक्षित
डा० पी० शंकरन नायर
वैद्य शिवकुमार मिश्र

वैद्य जगन्नाथ मिश्र
वैद्य हीरुभाई कुबेरभाई पटेल
प्रो० प्रियव्रत शर्मा
डा० हरिशंकर पाण्डे
डा० रमेश मिश्रा
डा० ब्रह्म स्वरूप शर्मा
डा० भूपेन्द्र नाथ गुप्त
डा० वी० नारायण स्वामी

शिक्षा समिति (सिद्ध)

सभापति

डा० ए० आनन्द कुमार

सदस्य

डा० सी० एम० उत्तमारायण

डा० जी० अन्ना स्वामी

डा० के० पलानिचामी

शिक्षा समिति (यूनानी)

सभापति

प्रो० हकीम मोहम्मद तैयब

सदस्य

हकीम एम० ए० रज्जाक (उपाध्यक्ष—यूनानी)

हकीम फ़ज़लुर्रहमान

हकीम सैय्यद राजी हैदर

हकीम मोहम्मद अशरफ़ करीम

हकीम अब्दुल मुवीन खान

हकीम अब्दुल हमीद

हकीम फ़ैयाज आलम

हकीम एस० के० खादरी

हकीम नजीर अहमद सिद्दीकी (दिवंगत)

हकीम मुहम्मद इक़बाल खान

हकीम मोहम्मद अहमद लारी

डा० मदन सरूप गुप्ता

वर्ष के दौरान केन्द्रीय परिषद् और उसकी समितियों की निम्न बैठकें आयोजित की गईं :—

- | | |
|-----------------------|---|
| (1) केन्द्रीय परिषद् | 2 |
| (2) कार्यकारिणी समिति | 4 |

(3) शिक्षा समिति (आयुर्वेद)	2
(4) शिक्षा समिति (यूनानी)	1
(5) शिक्षा समिति (सिद्ध)	1
(6) पंजीयन समिति	1

केन्द्रीय परिषद् की वार्षिक बैठक विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 30 और 31 मार्च 1985 को सम्पन्न हुई।

परिषद् ने भारत की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की नृशंस हत्या पर शोक प्रस्ताव पारित किया।

परिषद् ने केन्द्रीय परिषद् के सदस्य हकीम अब्दुल मुजीब खान और हकीम नजीर अहमद सिददीकी के दुःखद निधन पर भी शोक प्रस्ताव पारित किया।

परिषद् ने 17 से 19 जुलाई 1985 को सम्पन्न केन्द्रीय परिषद् की 15वीं बैठक के कार्यवृत्तों की पुष्टि की। परिषद् ने निम्न बैठकों के कार्यवृत्तों को भी दृढ़ किया।

(क) दिनांक 8-8-83 को सम्पन्न कार्यकारिणी समिति की 43वीं बैठक।

(ख) दिनांक 26-2-84 को सम्पन्न कार्यकारिणी समिति की 44वीं बैठक।

(ग) दिनांक 18-7-84 को सम्पन्न कार्यकारिणी समिति की 45वीं बैठक।

(घ) दिनांक 1-10-84 को सम्पन्न कार्यकारिणी समिति की 46वीं बैठक।

(ङ) दिनांक 17-1-85 को सम्पन्न कार्यकारिणी समिति की 47वीं बैठक।

(च) दिनांक 30-3-85 को सम्पन्न कार्यकारिणी समिति की 48वीं बैठक।

(छ) दिनांक 24-11-83 को सम्पन्न पंजीयन समिति की 15वीं बैठक।

(ज) दिनांक 4-3-85 को सम्पन्न पंजीयन समिति की 16वीं बैठक।

(झ) दिनांक 29-3-85 को सम्पन्न आयुर्वेद समिति की 15वीं बैठक।

(ण) दिनांक 29-3-85 को सम्पन्न सिद्ध समिति की 14वीं बैठक।

(त) दिनांक 29-3-85 को सम्पन्न यूनानी समिति की 16वीं बैठक।

केन्द्रीय परिषद् द्वारा लिए गए महत्त्वपूर्ण निर्णय निम्न प्रकार हैं :—

यह निर्णय लिया गया कि केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् से यह अनुरोध किया जाय कि वह समस्त राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों को उनके राज्य अधिनियम इस प्रकार संशोधित करने के लिए निदेश दे ताकि उनमें विद्यमान अर्हताओं की अनुसूचियों को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन मान्य अर्हताओं के अनुरूप लाया जाय।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के कर्मचारियों के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के संशोधित स्थाई आदेशों तथा सेवा निवृत्ति लाभ नियमों को केन्द्र सरकार को भेजे जाने हेतु अनुमोदित किया गया।

कार्यकारिणी समिति द्वारा यथा अनुमोदित वर्ष 1985-86 के लिए केन्द्रीय परिषद् के रुपये 14,29,000/- राशिवाले बजट प्राक्कलनों (गैर योजना) और रुपये 10,37,851.91 राशि के संशोधित प्राक्कलनों को परिषद् ने स्वीकृत किया।

केन्द्र सरकार को भेजे जाने हेतु कार्यकारिणी समिति द्वारा यथा अनुमोदित वर्ष 1985-86 के लिए रुपये 14,60,000/- राशि वाले बजट प्राक्कलनों (योजना) तथा वर्ष 1984-85 के लिए रुपये 2,00,000/- राशि वाले संशोधित प्राक्कलनों को परिषद् द्वारा स्वीकृत किया गया।

परिषद् ने कार्यकारिणी समिति द्वारा यथा अनुमोदित केन्द्रीय परिषद् के अध्यक्ष के प्रस्ताव को निम्न प्रकार से अनुमोदित किया :—

(1) शैक्षिक स्तर :—भारतीय चिकित्सा पद्धति की संस्थाओं के शैक्षिक एवं भौतिक मानकों के लिए उनका निरीक्षण/परिदर्शन किया जाना चाहिए।

(2) पाठ्यविधि एवं पाठ्यविवरण की पुनरीक्षा :—सम्बन्धित शिक्षा समिति को विगत के अनुभव की दृष्टि से स्नातकीय और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की पाठ्यविधि एवं पाठ्यविवरण की पुनरीक्षा करना चाहिए। पाठ्यविवरण देश की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा के अंशों पर जोर दिया जाये।

(3) केन्द्रीय पंजिका :—कार्यक्रम को मूर्त रूप देने से पूर्व राज्य पंजीयकों की राय प्राप्त की जानी चाहिए।

इन तीनों अनुसंसाओं के क्रियान्वयन के लिए सरकार के द्वारा यात्रा एवं भत्ता के लिए परिषद् के ग्राम व्यय से अतिरिक्त रुपया 4,00,000/- की राशि स्वीकृत की जानी चाहिए।

परिषद् ने प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा पर नई दिल्ली में एक सेमिनार आयोजित करने हेतु केन्द्रीय परिषद् को निधि प्रदान कराने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से बात करने के लिए केन्द्रीय परिषद् के अध्यक्ष द्वारा उठाए गए कदमों की प्रशंसा की।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 में संशोधन के लिए अंतिम अनुसंसाएँ प्रारूपित करने हेतु तीनों उपाध्यक्ष डा० एस० टी० गुजर और हकीम एम० तैयब से संयुक्त एक उपसमिति का गठन किया गया।

केन्द्रीय परिषद् के कर्मचारियों तथा भारतीय चिकित्सा परिषद् के कर्मचारियों के वेतनमानों में समानता सम्बन्धी डा० एम० पी० पाण्डे के प्रस्ताव पर कार्यकारिणी समिति का विचार था कि चूँकि कार्यकारिणी समिति द्वारा नवीन भर्ती नियमों की अंतिम रूप दिया जाना है, प्रस्ताव में व्यक्त विचारों को भर्ती नियमों को अंतिम रूप से दिये जाने के समय ध्यान में रखा जाए।

डा० एम० एस० गुप्ता से प्राप्त पत्र के सम्बन्ध में परिषद् का विचार था कि भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन क्रमांक एस-14025/13/83 एम० एस० दिनांक 16-12-84 के अधीन आयुर्वेद के स्नातकों को यथा प्रदत्त सुविधाएँ यूनानी और सिद्ध के स्नातकों को भी प्रदान किए जाने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया जाए।

बोर्ड आफ इण्डियन मेडीसिन, राजस्थान, जयपुर से सम्बद्ध महाविद्यालयों के परि-
दर्शन/प्रतिवेदन पर यूनानी समिति के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए बोर्ड द्वारा प्रदत्त
कामिल-ए-तिब्ब-ओ-जराहूत अर्हता का भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम,
1970 की अनुसूची में सम्मिलित किए जाने हेतु अनुशंसा की गई।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन मान्य चिकित्सीय
अर्हता धारण करने वाले भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्साभ्यासियों द्वारा जारी किए गए
चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में परिषद् का विचार था कि स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण की केन्द्रीय परिषद् का 10वां संयुक्त अधिवेशन इस सम्बन्ध में पहले ही अनुशंसा
कर चुका है। अतः इसका क्रियान्वयन करने के लिए सरकार से अनुरोध किया जाए।

यह निर्णय लिया गया कि संस्थाओं में प्रारम्भ में कम से कम 60 शय्याएं रखी
जानी चाहिए, ताकि 1:3 छात्र शय्या अनुपात का अनुसरण किया जाए।

आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश अर्हता निम्न प्रकार अनुमोदित की गई :—

विज्ञान (भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान)

तथा संस्कृत सहित इन्टरमीडिएट/12वीं कक्षा

जहाँ इन्टरमीडिएट/12वीं कक्षा (जीव विज्ञान—विज्ञान वर्ग) में वैकल्पिक
विषय के रूप में संस्कृत की शिक्षा का प्रावधान और सुविधाएँ उपलब्ध नहीं
हैं वहाँ इन्टर मीडिएट/12वीं कक्षा (जीव विज्ञान—विज्ञान वर्ग) के छात्रों
को प्रवेश दिया जाए और संस्कृत को मुख्य पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाए।

अथवा

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय की विज्ञान एवं अंग्रेजी सहित उत्तर
मध्यमा अथवा

राज्य सरकारों/परीक्षा से सम्बन्धित राज्य शिक्षा मंडलों द्वारा मान्य कोई
अन्य समकक्ष अर्हता।

यह भी निर्णय लिया गया कि वर्तमान में प्रचलित प्राग् आयुर्वेद पाठ्यक्रम को
समाप्त किया जाए और प्राग् आयुर्वेद के पाठ्यक्रम के विषयों को प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम
में सुविधानुसार समायोजित किया जाए।

परिषद् ने आयुर्वेद समिति द्वारा यथा अनुमोदित प्राध्यापक, रीडर/सहायक प्राध्या-
पक एवं प्रवक्ता के पदों के लिए निम्न प्रकार से अध्यापन अनुभव को दृढ़ किया :—

प्राध्यापक :—विभाग में 10 वर्ष का अध्यापन अनुभव आवश्यक है, जिसमें से 5
वर्ष का अध्यापन अनुभव प्रवाचक/सहायक प्राध्यापक के रूप में होना चाहिए अथवा जहाँ
प्रवाचक/सहायक प्राध्यापक का पद नहीं है, प्रवक्ता के रूप में सम्बन्धित विषय में 10 वर्ष
का अध्यापन अनुभव होना चाहिए।

प्रवाचक/सहायक प्राध्यापक :—विषय में 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव आवश्यक
है, जिसमें से 3 वर्ष का अध्यापन अनुभव सम्बन्धित विषय में प्रवक्ता के रूप में होना
चाहिए।

प्रवक्ता :—विवेचक या कनिष्ठ प्रवक्ता के रूप में 3 वर्ष का अध्यापन अनुभव
आवश्यक है।

आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम के प्रथम, चतुर्थ एवं पंचम वर्ष के क्रमशः अष्टांग संग्रह,
चरक संहिता (पूर्वाध) एवं चरक संहिता (उत्तरार्ध) विषयों में 50 अंकों की मौखिक परीक्षा
प्रविष्ट करने के लिए सहमति व्यक्त की गई।

आयुर्वेदिक अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक एवं उप चिकित्सा अधीक्षक के पद के
लिए निम्न अर्हता एवं अनुभव का निर्णय लिया गया :—

चिकित्सा अधीक्षक

अनिवार्य :

(i) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की द्वितीय अनुसूची में
सम्मिलित आयुर्वेद में उपाधि/अधिकार पत्र जो 4 वर्ष से कम अवधि का न हो।

(ii) अध्यापन अस्पताल में उपचिकित्सा अधीक्षक/चिकित्सीय अध्यापक/चिकित्सा
अधिकारी के रूप में 10 वर्ष का अनुभव।

वांछनीय :

(i) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की द्वितीय अनुसूची में
सम्मिलित आयुर्वेद की स्नातकोत्तर उपाधि या डिप्लोमा।

(ii) अस्पताल प्रबन्ध में प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा/उपाधि तथा अस्पताल शासी
विभिन्न अधिनियमों की जानकारी।

(iii) संस्कृत का ज्ञान।

उप चिकित्सा अधीक्षक

अनिवार्य :

(i) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की द्वितीय अनुसूची में
सम्मिलित आयुर्वेद की उपाधि/डिप्लोमा जिसकी अवधि चार वर्ष से कम न हो।

(ii) शिक्षण अस्पताल में चिकित्सीय अध्यापक अथवा चिकित्सा अधिकारी के रूप
में 5 वर्ष का अनुभव।

वांछनीय :

(i) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की अनुसूची में सम्मि-
लित आयुर्वेद की स्नातकोत्तर अर्हता।

(ii) अस्पताल प्रबन्ध में उपाधि या डिप्लोमा।

(iii) संस्कृत का ज्ञान।

यह भी निर्णय लिया कि ये दोनों पद प्राचार्य के नियन्त्रणाधीन होने चाहिए।

भारत निर्माण द्वारा 20 से 22 नवम्बर, 1983 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं देशी चिकित्सा पद्धतियों पर आयोजित अखिल भारतीय सेमिनार वी अनुशंसा "स्कूल तथा महाविद्यालय के पाठ्यक्रम में शरीर की स्वास्थ्य रक्षा एवं मुख सौन्दर्य के लिए गृह चिकित्सा आयुर्वेदिक एवं यूनानी सामान्य उपचार, वनौषधियों के उपयोग आदि का सामान्य ज्ञान सम्मिलित होना चाहिए" से सहमति व्यक्त की गई।

यह अंकित किया गया कि आयुर्वेदीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की अनुमति देने के लिए कुछ संस्थाओं का परिदर्शन किया जाना है। अतः यह निर्णय लिया गया कि परिषद् के तीन सदस्य अर्थात् पड़ोसी राज्यों से दो सदस्य और उसी राज्य से एक सदस्य को परिदर्शक के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए ताकि सम्बन्धित राज्य के सदस्य का सहयोग भी लिया जा सके।

वैद्य प्रमोद तिवारी एवं डा० महेन्द्र दत्त शर्मा द्वारा प्रस्तुत राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, पपरोला का परिदर्शन प्रतिवेदन स्वीकृत किया गया। यह निर्णय लिया गया कि इस संस्था में आगे प्रवेश रोक दिया जाए और एक कड़ा पत्र महाविद्यालय को उसकी प्रति हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय तथा राज्य सरकार को भेजते हुए भेजा जाय। सभापति, आयुर्वेद समिति की ओर से एक अर्थशासकीय पत्र मुख्य मंत्री एवं आयुर्वेद मन्त्री को उसकी प्रति कुलपति को भेजते हुए भेजा जाय।

सत्यसाईं मुरलीधर आयुर्वेद महाविद्यालय, मोगा और घन्वन्तरि आयुर्वेद महाविद्यालय, चण्डीगढ़ में 50-50 छात्र प्रवेश करने की अनुमति दी जाने के लिए उपाध्यक्ष (आयुर्वेद) द्वारा की गई कार्रवाई को अनुमोदित किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि दोनों संस्थाओं तथा राज्य संकाय का परिदर्शन करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

नागपुर विश्वविद्यालय आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम में 'आबादी शिक्षा' को समाविष्ट करें क्योंकि यह परिवार कल्याण के विस्तृत क्षेत्र से सम्बन्धित है। इसे आयुर्वेदीय शिक्षा के वर्तमान ढांचे में बाधा पहुँचाये बिना लागू किया जाय।

परिदर्शकों की अनुशंसा पर यह निर्णय लिया गया कि अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय पुणे में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आगे प्रवेश रोक दिया जाय। तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय पुणे के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि पदरिश्कों द्वारा बतलाई गई कमियां महाविद्यालय के अधिकारियों की जानकारी में लाई जाएं और उसका अनुपालन प्रतिवेदन यथाशीघ्र मंगाया जाय।

आयुर्वेद महाविद्यालय, नासिक तथा कमलादेवी गौरीदत्त मित्तल पुनर्वसु आयुर्वेद महाविद्यालय, बम्बई को आयुर्वेदीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति दी गई।

परिषद् ने चिकित्सा विज्ञान संस्थान, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा स्नातकोत्तर शिक्षा के विहित विनियमों के उल्लंघन के लिए सख्त आपत्ति की। यह निर्णय

लिया गया कि जैसा कि केन्द्र सरकार के द्वारा चाहा गया है उपाध्यक्ष (आयुर्वेद), शिक्षा समिति (आयुर्वेद) के सभापति तथा परिषद् के सचिव काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के अधिकारियों से तथ्यों पर विचार विमर्श करने के लिए और समस्या का समाधान करने के लिए व्यक्तिगत रूप से मिलें।

परिषद् ने सदस्यों के निम्न प्रस्ताव पारित किए :—

- (क) केन्द्र एवं संघ शासित राज्यों सहित राज्य सरकारों से केन्द्रीय परिषद् के सदस्यों को सम्बन्धित राज्यों की भाततीय चिकित्सा पद्धति की समस्त समितियों, संकायों तथा मंडलों में सम्मिलित करने का अनुरोध किया जाय और उन्हें सरकारी अधिकारियों के समान माना जाय।
- (ख) पंजीयन, विनियमों से सम्बन्धित समस्त विषयों पर कार्य करने और परिषद् एवं राज्यों व केन्द्र सरकार के बीच तथा परिषद् एवं सदस्यों के बीच विद्यमान रिक्तता को भरने तथा परिषद् के निर्णयों के क्रियान्वयन हेतु कार्रवाई करने के लिए एक समन्वय समिति का गठन किया जाना चाहिए।
- (ग) भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए बजट प्रावधानों की योजना करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया।
- (घ) आयुर्वेद के सम्पूर्ण विकास के लिए विदेशों में आयुर्वेद का प्रचार करने हेतु केन्द्रीय परिषद् के निबन्धक एवं आयुर्वेद समिति के प्रधान सहित आमंत्रित सदस्यों की एक टीम को जून, 1985 में इटली में आयोजित आयुर्वेद एवं योग के प्रथम विश्व सम्मेलन में भाग लेना चाहिए।

कामिल-ए-तिब्ब-ओ-जराहूत उपाधि पाठ्यक्रम के लिए निम्न प्रवेश अर्हता की अनुशंसा की गई :—

- (क) सीनियर सैकण्डरी + 2/इन्टरमीडिएट अथवा समकक्ष प्राच्य अर्हता। वे बी०यू० एम० एस० के मुख्य 5 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए मान्य होंगे।
- (ख) एस०एस०एल०सी०/मैट्रिक या समकक्ष अर्हता के छात्रों को दो वर्षीय प्री तिब्ब पाठ्यक्रम में प्रवेश का प्रावधान उन संस्थाओं के लिए खुला रखा है जो अपनी विशेष परिस्थितियों में इसे आवश्यक समझती हैं।

टिप्पणी—उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी जो अरबी या फारसी में दक्ष हों।

कामिल-ए-तिब्ब-ओ-जराहूत (बैचलर आफ यूनानी मेडीसिन एण्ड सर्जरी) की उपाधि पाठ्यक्रम के पाठ्यविवरण में किया गया परिवर्तन अनुमोदित किया गया।

राजकीय तिब्बी कालेज, श्रीनगर और राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय जम्मू को पुनः खोलने के विषय में देखने हेतु जम्मू और काश्मीर सरकार से अनुरोध करने का निर्णय लिया गया।

यूनानी तिब्ब के विभिन्न विषयों के स्नातकोत्तर अधिकार पत्रों (डिप्लोमा) के नाम निम्न प्रकार निर्णीत किए गए :—

- (क) अमराज-ए-उज्ज, अफ व हलक (कान, नाक, गला) : डी०एल०ओ० (यू०)
- (ख) अमराज-ए-एन (नेत्र विज्ञान) : डी०ओ० (यू०)
- (ग) अमराज-ए-अतफाल : डी०सी०एच० (यू०)

(घ) अमराज-ए-जिल्द

डी०डी० (यू०)

(ङ) अमराज-ए-मुफ़ासिल-वा-इजम

डी० आर्थो (यू०)

परिषद् ने 9 से 11 जुलाई, 1984 को सम्पन्न स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की केन्द्रीय परिषद् के 10 वें संयुक्त अधिवेशन की भारतीय चिकित्सा पद्धति के महाविद्यालयों के मानकीकरण से सम्बन्धित अनुशंसा संख्या 2, 5, 7, 8 और 9 को स्वीकृत किया।

परिषद् ने यूनानी महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए समकक्ष अर्हता के रूप में प्राच्य अर्हताओं की अन्तिम सूची को स्वीकृत किया।

परिषद् ने यूनानी महाविद्यालय के प्राचार्य के पद के लिए निम्न अर्हता एवं अनुभव की अनुशंसा की :—

अनिवार्य :

- (i) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन मान्य संस्था से प्रथम या श्रेष्ठ द्वितीय श्रेणी की उपाधि।
- (ii) कम से कम 10 वर्ष का अध्यापन अनुभव।

वांछनीय :

- (i) कम से कम 5 वर्ष का प्राशासनिक अनुभव।
- (ii) यूनानी तिब्ब में स्नातकोत्तर अर्हता।
- (iii) यूनानी तिब्ब के किसी भी विषय में मौलिक प्रकाशित कार्य।
- (iv) अरबी/फारसी का अच्छा ज्ञान।

सिद्ध उपाधि पाठ्यक्रम के सफल छात्रों के लिए विशिखानुप्रवेश के विनियम प्रारूप को अनुमोदित किया गया।

परिषद् ने सिद्ध चिकित्सा साहित्य को हिन्दी और अंग्रेजी में अनूदित करने हेतु आवश्यक एवं समुचित कदम उठाने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अनुशंसा की इस विशेष कार्य के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में एक पृथक् अनुभाग सृजित किया जाय।

परिषद् ने सिद्ध की राष्ट्रीय फार्मूलरी के अंग्रेजी अनुवाद को शीघ्र छापने और इसका हिन्दी में अनुवाद करने के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से अनुरोध करने का निर्णय लिया।

परिषद् ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से अनुशंसा करने का निर्णय लिया कि सम्पूर्ण देश में विशाल उपयोग के लिए सिद्ध चिकित्सा पद्धति की सुप्रमाणित कुछ प्राचीन जीवन रक्षक औषधियों का निर्माण करने हेतु समुचित कदम उठाए जाने चाहिए।

भारत सरकार के अधीन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के राष्ट्रीय कार्यक्रम में सिद्ध चिकित्सा के विशेषज्ञों की भागीदारी के लिए परिषद् ने अनुशंसा की।

भारतीय चिकित्सा पद्धति के फार्माक्यूटिकल उद्योगों को कच्चे द्रव्यों की बराबर, लगातार एवं पर्याप्त आपूर्ति प्राप्त करने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय औषधियों के उत्पादन के लिए कच्चे द्रव्यों की उपलब्धता एवं वितरण के लिए एक समन्वित योजना तैयार करने हेतु ऐसी एक विशेषज्ञ समिति जिसमें समस्त राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित हों, गठित करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से अनुरोध करने का निर्णय लिया गया।

महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक द्वारा प्रदत्त अर्हता का सही नाम आयुर्वेदाचार्य (ग्रंजुएट इन आयुर्वेदिक मेडीसिन एण्ड सर्जरी) की अनुशंसा केन्द्र सरकार से की गई।

मंगलौर विश्वविद्यालय, मंगलौर द्वारा प्रदत्त आयुर्वेदाचार्य अर्हता के विषय में यह निर्णय लिया गया कि न्यूनतम स्तरों के निर्णय, विहित विनियमों के अनुसरण एवं विश्वविद्यालय द्वारा आपूर्ति की गई सूचना के सत्यापन के लिए संस्था एवं विश्वविद्यालय का परिदर्शन किया जाय। अर्हता का समावेश केवल 1985 तक करने हेतु अनुशंसा करने का भी निर्णय लिया गया।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की द्वितीय अनुसूची में पंजाब राज्य संकाय द्वारा प्रदत्त आयुर्वेदाचार्य (बैचलर आफ आयुर्वेदिक मेडीसिन एण्ड सर्जरी) अर्हता के समावेश के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि कुछ सदस्यों द्वारा संकाय में भ्रष्टाचार एवं निरंकुशता सम्बन्धी की गई शिकायतों को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति पंजाब राज्य संकाय का परिदर्शन कराने का निर्णय लिया गया।

जामिया तिब्बिया, दारुल उलूम, देवबन्द की कामिल-ए-तिब्ब-ओ-जराहत (बी० यू०एम०एस०) अर्हता की मान्यता के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकार के निजी संगठनों को उपाधि प्रदान करने की अनुमति नहीं दी जाय। भारतीय चिकित्सा पद्धति के उपाधि पाठ्यक्रम का संचालन करने वाली संस्थाएँ उस क्षेत्र के किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हों तथापि सर्वप्रथम उक्त संस्था का निरीक्षण कराया जाय।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की द्वितीय अनुसूची में निम्न संशोधन करने के केन्द्र सरकार के प्रस्ताव से परिषद् ने सहमति व्यक्त की।

1. उक्त अनुसूची के भाग—1 में कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर से सम्बन्धित क्रम संख्या 107—क के विरुद्ध कालम 2, 3 और 4 में वर्तमान प्रविष्टियों के लिए निम्न प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित होंगी :—

आयुर्वेदाचार्य (बैचलर ऑफ आयुर्वेद विद् मोडर्न मेडीसिन एण्ड सर्जरी)	बी०ए०एम०एस०	1972 से 1982 तक
आयुर्वेदाचार्य (बैचलर आफ आयुर्वेदिक मेडीसिन एण्ड सर्जरी)	बी०ए०एम०एस०	1983 से आगे

2. उक्त अनुसूची के भाग—II में कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर से सम्बन्धित क्रम संख्या 22—क के विरुद्ध कालम 2, 3 और 4 में वर्तमान प्रविष्टियों के लिए निम्न प्रविष्टियां प्रतिस्थापित होंगी :—

फाजिले-ए-तिब्ब-ओ-जराहत बी०यू०एम०एस० 1972 से 1982 तक
(बैचलर आफ यूनानी विद्
माडर्न मेडीसिन एण्ड सर्जरी)

कामिले-ए-तिब्ब-ओ-जराहत बी०यू०एम०एस० 1983 से आगे
(बैचलर आफ यूनानी मेडीसिन
एण्ड सर्जरी)

परिषद् ने पश्चिम बंग आयुर्वेद परिषद्, कलकत्ता द्वारा प्रदत्त अर्हता का निम्न परिवर्तित नाम मान्य करने के लिए सहमति व्यक्त की :—

- (1) ए०एस०एफ० से डी०ए०एम०एस० 1946 से 1983
- (2) एम०ए०एस०एफ० से बी०ए०एम०एस० 1940 से 1984

कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता की आयुर्वेदाचार्य (बैचलर आफ आयुर्वेदिक मेडीसिन एण्ड सर्जरी) अर्हता 1982 से आगे समाविष्ट करने के लिए अनुशंसा की गई।

जामिया तिब्बिया, दारुल उलूम, देवबन्द द्वारा प्रदत्त फाजिले-उत-तिब्ब (डी०यू०एम०) उपाधि की मान्यता 1984 से आगे बढ़ाने के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि संस्था एवं परीक्षा निकाय के स्तरों का निर्धारण करने के लिए परिदर्शन किया जाय।

गोपनीय

क्रमांक OAD-IV/2-7/CCIM/85-86/308

निदेशक लेखा परीक्षा
केन्द्रीय राजस्व, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट,
नई दिल्ली-110002 का कार्यालय
दिनांक

सेवा में,
सचिव, भारत सरकार,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
(स्वास्थ्य विभाग) निर्माण भवन, नई दिल्ली।

विषय :— वर्ष 1984-85 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

महालय,
में वर्ष 1984-85 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली के प्रमाणित वार्षिक लेखाओं की प्रति उसके लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र के साथ प्रेषित करता हूँ। तत्सम्बन्धी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन कृपया "शून्य" समझा जाय।

संसद को यथा प्रस्तुत कागजों की प्रतियां उस तिथि जिनमें वे प्रस्तुत किए गए हैं का संकेत करते हुए कृपया इस कार्यालय को तथा भारत के लेखा नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली के कार्यालय को भी भेजें।

कृपया प्राप्ति सूचित करें।

भवदीय,
हस्ता०/-
(डी० एन० थापर)
उप-निदेशक, लेखा परीक्षा
(निरीक्षण-1)

संख्या— ओ० ए० डी० 4/2/7/सी०सी०आई०एम०/85-86

- (1) प्रतिलिपि सत्यापित लेखों की प्रति सहित निबन्धक, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, 1-ई/6, स्वामी रामतीर्थ नगर, नई दिल्ली-110055 को प्रेषित है। लेखा परीक्षा की तिथि दर्शाने वाला विवरण भी संलग्न है।
- (2) प्रतिलिपि लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र, मुख्यालय की टिप्पणियों उत्तरों का अभिनिवेश करते हुए विवरण एवं मुख्यालय के पत्रांक 500-रेफ (ए० बी०) 124-85-दिनांक 5-11-1985 के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा की तिथियों की दर्शाने वाले प्रपत्र सहित श्री एल० सारंगपाणि, प्रशासन अधिकारी (ए० ई०) भारत का नियन्त्रक एवं महा लेखा परीक्षक कार्यालय, नई दिल्ली को प्रेषित है।

हस्ता०/
(डी० एन० थापर)
उपनिदेशक लेखा परीक्षा
(निरीक्षण-1)

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् नई दिल्ली-110055

31 मार्च, 1985 को समाप्त हुए वर्ष के लिये प्राप्तियों एवं भुगतानों का लेखा

प्राप्तियां	राशि	राशि	भुगतान	राशि	राशि
1-4-84 को आद्य शेष			I. वेतन और भत्ते		
बैंक आफ इण्डिया के चालू खाते में इति शेष	27,381.70		अधिकारियों का वेतन	15,968.86	
हस्तगत रोकड़	235.85		अधिकारियों का अवकाश वेतन	1,081.14	
हस्तगत डाक टिकटें	99.20		कर्मचारियों का वेतन	94,505.55	
फ्रॉ किंग मशीन में डाक टिकटें	3,825.75	31,542.50	कर्मचारियों का अवकाश वेतन	11,425.95	
	-----		महंगाई एवं अतिरिक्त महंगाई भत्ता	1,83,707.48	
वर्ष 1984-85 के दौरान गैर योजना के अधीन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त सहायता अनुदान		8,36,000.00	मकान किराया भत्ता	32,392.43	
वर्ष 1984-85 के दौरान योजना के अधीन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त सहायता अनुदान		1,00,000.00	नगर प्रतिकर भत्ता	10,108.49	
कर्मचारियों से की गई वसूली			घुलाई भत्ता	266.40	
साईकिल अग्रिम	850.00		चिकित्सा प्रतिपूर्ति	521.10	
स्कूल अग्रिम	1,500.00		शिक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति	131.00	
पर्व अग्रिम	2,920.00		अवकाश यात्रा रियायत	1,854.00	
साईकिल अग्रिम पर ब्याज	59.80	5,329.80	समयोपरि भत्ता	2,039.60	
	-----		अन्तरिम सहायता	16,291.38	
सावधि जमा योजना में जमा करने हेतु कर्मचारियों से प्राप्त राशि		13,440.00	बोनस	7,909.10	
लाल इमली उधार बिन्धी योजना में जमा करने हेतु कर्मचारियों से प्राप्त राशि		2,801.50	सावधि जमा योजना में जमा राशि	13,440.00	
वर्ष 1983-84 के योजना व्यय से प्राप्त राशि		2,785.47	लाल इमली उधार बिन्धी योजना में जमा राशि	2,801.50	
वर्ष 1983-84 के दौरान स्वीकृत यात्रा दैनिक भत्ता अग्रिम का समायोजन परिषद् के अंशदान और ब्याज तथा अन्य फुटकर के		3,332.00	बैंक प्रभार	167.00	
			अध्यक्ष के निजी सचिव का वेतन	750.00	3,95,360.98

			II. फुटकर व्यय		
			(क) आवर्ती व्यय		
			(क) लेखन सामग्री	10,836.75	
			टंकण एवं आशुलिपि यंत्रों की मरम्मत	3,174.73	
			दूरभाष	6,212.50	
			डाक एवं तार	8,445.15	
			मुद्रण व्यय	12,346.67	

कारण अंशदायी भविष्य निधि से प्राप्त राशि
 आयकर जमा करने हेतु श्री राजकुमार जैन एवं
 श्री सत्यकार सिंह से प्राप्त राशि
 बेकार वस्तुओं से प्राप्त राशि
 भारतीय चिकित्सा पद्धति पर विचार गोष्ठी
 आयोजित करने हेतु विवन स्वास्थ्य संगठन
 से प्राप्त राशि
 श्री बृजराज सिंह के अंशदायी भविष्य निधि
 की राशि

405.15	समाचार-पत्र एवं पत्रिकाएं	608.50	
	प्रकीर्ण सहित वर्दी	30,163.15	
1,730.00	भवन का किराया	56,400.00	
658.00	विद्युत व्यय	4,062.75	
	वाहन व्यय	2,764.75	
	विज्ञापन (योजना)	97,214.53	
29,000.00	विज्ञापन (गैर योजना)	864.00	
	उष्ण व शीतकालीन स्थापना	4,850.00	
60.00	लेखा परीक्षा शुल्क	4,950.00	
	विधि सम्बन्धी व्यय	500.00	
	कार्यालय का रखरखाव	11,769.65	2,55,163.11
			6,50,524.11

(ख) अनावर्ती व्यय

पुस्तकालय के लिए पुस्तकें 217.00

III. विभिन्न बैठकों के लिए सदस्यों/कर्मचारियों को यात्रा/दैनिक भत्ता

सचिव/कर्मचारी	4,466.50	
परिषद् के सदस्यों को	1,96,150.25	
कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को	28,809.80	
शिक्षा समिति (आयुर्वेद) के सदस्यों को	23,029.90	
शिक्षा समिति (यूनानी) के सदस्यों को	9,624.40	
शिक्षा समिति (सिद्ध) के सदस्यों को	160.00	
पंजीयन समिति के सदस्यों को	14,322.20	
चयन समिति के सदस्यों को	145.90	
उप-समिति के सदस्यों को	960.30	
परिदर्शन समिति के सदस्यों को	6,169.50	
	2,83,838.75	

गत वर्ष 1983-84 के अग्रिम के समायोजन के
 परिणाम-स्वरूप यात्रा/दैनिक भत्ता

3,332.00 2,87,170.75

गया शेष

10,27,084.42

विभिन्न बैठकों के लिए सदस्यों को अग्रिम यात्रा/दैनिक भत्ता

परिषद् के सदस्यों को	2,500.00	
पंजीयन समिति के सदस्यों को	700.00	3,200.00

परिषद् का अंशदान 13,880.50

आयकर का प्रेषण

आयकर विभाग को अदा की गई

श्री राजकुमार जैन और श्री सत्यकार सिंह की राशि 1,730.00

त भुगताए गए पुराने चैकों के कारण पार्टियों को दी गई राशि 2,479.10

कर्मचारियों को अग्रिम

पर्व अग्रिम 2,600.00

साईकिल अग्रिम 550.00 3,150.00

31-3-85 का अन्त शेष

*बैंक आफ इण्डिया के चालू खाते में इतिशेष *61,923.16

हस्तगत रोकड़ 500.00

हस्तगत डाक टिकटें 69.30

फ्रॉकिंग मशीन में डाक टिकटें 2,240.50 64,732.96

31-3-85 को कुल शेष 61,923.16

*घटाए विश्व स्वास्थ्य संगठन की राशि 29,000.00

31-3-85 को वास्तविक शेष 32,923.16

कुल

10,27,084.42

कुल

10,27,084.42

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् नई दिल्ली-110055

31 मार्च, 1985 को समाप्त हुए वर्ष के लिये आय-व्यय का लेखा

व्यय	राशि	राशि	आय	राशि	राशि
I. वेतन और भत्ता			वर्ष 1984-85 के दौरान गैर-योजना के अधीन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त सहायता अनुदान		8,36,000.
अधिकारियों का वेतन	15,968.86		साईकिल अग्रिम पर ब्याज		59
अधिकारियों का अवकाश वेतन	1,081.14		अंशदायी भविष्य निधि से प्राप्त फुटकर राशि		405
कर्मचारियों का वेतन	94,505.55		बेकार वस्तुओं से प्राप्त राशि		658
कर्मचारियों का अवकाश वेतन	11,425.95		(क) ग्रुप बीमा योजना का अंशदान	137.50	
महंगाई एवं अतिरिक्त महंगाई भत्ता	1,83,707.48		(ख) अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान	100.00	
मकान किराया भत्ता	32,392.43		(ग) महंगाई/अतिरिक्त महंगाई भत्ता की अतिरिक्त राशि	33.80	
नगर प्रतिकर भत्ता	10,108.49		(घ) मकान किराया भत्ता की अवितरित राशि	41.19	
धुलाई भत्ता	266.40		(ङ) नगर प्रतिकर भत्ता की अवितरित राशि	12.33	
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	521.10		आय से व्यय की अधिकता		
शिक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति	131.00				
अवकाश यात्रा खर्चा	1,854.00				
समयोपरि भत्ता	2,039.60				
अन्तरिम सहायता	16,291.38				
बोनस	7,909.10				
बैंक प्रभार	167.00	3,79,119.48			
अध्यक्ष व निजी सचिव को वेतन	750.00				
II. फुटकर व्यय					
वेतन सामग्री	10,836.75				
ढंकाण एवं आधुनिक यंत्रों की मरम्मत	3,174.73				
धूरभाष	6,212.50				
बाक एवं तार	8,445.15				
मुद्रण व्यय	12,346.67				
समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं	608.50				
बचिवों सहित प्रकीर्ण	30,163.15				

अग्रणीत शेष

भवन किराया
विद्युत व्यय
विज्ञापन (गैर-योजना)
खण और शीतकालीन
परीक्षा शुल्क
विभिन्न सम्बन्धी व्यय
समाचार/उपकरण का र

II. विभिन्न बैठकों के
अधिकारियों को यात्रा/द
अध्यक्ष/कर्मचारी
संघ के सदस्य
अधिकारिणी समिति के सद
सा समिति (आयु०) के
सा समिति (यूनानी) के
सा समिति (सिद्ध) के सद
य समिति के सदस्य
समिति के सदस्य
समिति के सदस्य
अधियों के समायोजन क
सामयिक यात्रा/दैनिक भत्ता
का अंशदान

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् नई दिल्ली-110055

यथा 31 मार्च, 1985 का तुलन-पत्र

1983-84	व्यय रशि	राशि	राशि 1983-84	परिसम्पत्ति	राशि	राशि
3,83,481.43	गत तुलन-हत्र के अनुसार	3,04,169.15		<u>फर्निचर एवं उपस्कर (क)</u>		
11,930.39	घटाएं—वर्ष के दौरान विमोचन	6,667.10		69,682.92	गत तुलन-पत्र के अनुसार	69,715.98
3,71,551.04		2,97,502.05		1,485.00	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	—
67,381.89	घटाएं—आय से व्यय की अधिकता	671.56		71,169.92		69,715.98
3,04,169.15		2,96,830.49		1,451.94	वर्ष के दौरान विमोचन	—
	जोड़े—समायोजित राशि	22.19	2,96,852.68	69,715.98		69,715.98
	<u>प्रकीर्ण लेनदार</u>			<u>पुस्तकालय की पुस्तकें (ख)</u>		
	(क) प्रेस विज्ञापन (योजना)			13,404.98	गत तुलन-पत्र के अनुसार	16,232.63
2,80,000.00	गत तुलन-पत्र के अनुसार	4,40,000.00		2,838.00	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	217.00
1,60,000.00	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	1,00,000.00		16,242.98		16,449.63
4,40,000.00		5,40,000.00		85.35	वर्ष के दौरान विमोचन	—
—	घटाएं—वर्ष तक समायोजित	3,80,445.49	1,59,554.51	16,157.63		16,449.63
4,40,000.00				75.00	जोड़े—1982-83 का समायोजन	—
	(ख) कर्मचारियों के प्रति दायित्व			16,232.63		16,449.63
137.50	(क) ग्रुप बीमा योजना के अंशदान	137.50			<u>कार्यालय उपकरण (ग)</u>	
100.00	(ख) अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान	100.00		1,46,600.72	गत तुलन-पत्र के अनुसार	1,38,573.16
33.80	(ग) महंगाई/अतिरिक्त महंगाई भत्ता की अतिरिक्त राशि	33.80		290.20	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	—
—		271.30		1,46,890.92		1,38,573.16
271.30		271.30		8,317.76	वर्ष के दौरान विमोचन	6,667.10
—	घटाएं—वर्ष के दौरान विमोचन	271.30	शून्य	1,38,573.16		1,31,906.06
	(ग) अतिरिक्त मकान किराया भत्ता				<u>एयर कूलिंग उपकरण (घ)</u>	
41.19	गत तुलन-पत्र के अनुसार	41.19		40,612.87	गत तुलन-पत्र के अनुसार	38,537.53
—	घटाएं—वर्ष के दौरान विमोचन	41.19	शून्य	—	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	—
41.19				40,612.87		38,537.53
				2,075.34	वर्ष के दौरान विमोचन	—
				38,537.53		38,537.53

(घ) अतिरिक्त नगर प्रतिकर भत्ता

12.33	गत तुलन-पत्र के अनुसार	12.33	
—	घटाएं—वर्ष के दौरान विमोचन	12.33	शून्य
12.33			

(ङ) न भुगताए गए पुराने चैक

2,851.68	गत तुलन-पत्र के अनुसार	2,851.68	
—	घटाएं—वर्ष के अनुसार विमोचन	2,479.10	372.58
2,851.68			

(क) सेमिनार के आयोजन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्राप्त राशि

			29,000.00
--	--	--	-----------

अंशदायी भविष्य निधि

69,377.26	परिषद् का अंशदान	82,905.46	
1,10,935.10	कर्मचारियों का अंशदान	1,34,216.10	
65,500.79	अंशदान को देय ब्याज	85,868.61	3,02,990.17
2,45,813.15			

79.90 कर्मचारी अंशदान

			60.00
--	--	--	-------

अग्रणीत शेष

			7,88,829.94
--	--	--	--------------------

ऋण एवं अग्रिम
(क) कर्मचारियों को अग्रिम
(i) पर्व अग्रिम

2,145.00	गत तुलन-पत्र के अनुसार	1,480.00	
3,220.00	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	2,600.00	
5,365.00		4,080.00	
3,885.00	घटाएं—वर्ष के दौरान की गई वसूली	2,920.00	1,160.00
1,480.00			

(ii) साईकिल अग्रिम

283.00	गत तुलन-पत्र के अनुसार	583.00	
825.00	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	550.00	
1,108.00		1,133.00	
525.00	घटाएं—वर्ष के दौरान की गई वसूली	850.00	283.00
583.00			

(iii) स्कूटर अग्रिम

3,000.00	गत तुलन-पत्र के अनुसार	1,800.00	
3,500.00	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	—	
6,500.00		1,800.00	
4,700.00	घटाएं—वर्ष के दौरान की गई वसूली	1,500.00	300.00
1,800.00			

अग्रणीत शेष

			2,58,352.20
--	--	--	--------------------

पीछे से लाया गया शेष 2,58,352.20

(ख) सदस्यों को अग्रिम

4,800.00	गत तुलन-पत्र के अनुसार	3,332.00	
3,332.00	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	3,200.00	
8,132.00		6,532.00	
4,800.00	घटाएं—वर्ष के दौरान की गई वसूली	3,332.00	3,200.00
3,332.00			

(ग) विज्ञापन के लिए अग्रिम

(i) योजना (डी०ए०वी०पी०)

2,80,000.00	गत तुलन-पत्र के अनुसार	4,40,000.00	
1,60,000.00	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	1,00,000.00	
4,40,000.00		5,40,000.00	
—	घटाएं—डी०ए०वी०पी० के माध्यम से समायोजित	3,76,520.02	
—	घटाएं—अन्यों के माध्यम से समायोजित	1,63,479.98	

—	1983-84	2,785.47	
4,40,000.00	1984-85	1,140.00	3,925.47
			1,59,554.51

(ii) योजना (अन्य)

2,785.47	गत तुलन-पत्र के अनुसार	2,785.47	
—	घटाएं विमोचित	2,785.47	शून्य
2,785.47			

(iii) गैर-योजना

2,843.18	गत तुलन-पत्र के अनुसार	2,843.18	
—	घटाएं—समायोजित	2,843.18	शून्य
2,843.18			

0.10 (घ) सस्पेंस लेखा 0.10

यथा 31-3-85 को रोकड़ एवं बैंक में शेष राशि

3,825.75	फैकिंग मशीन में डाक टिकटें	2,240.50	
99.20	हस्तगत डाक टिकटें	69.30	
253.85	हस्तगत रोकड़	500.00	
35	बैंक आफ इंडिया के चालू खाते में रोकड़		
27,381.70		61,923.16	64,732.96
31,542.50			
	अशदायी भविष्य निधि		
	(क) विनियोजन		
1,30,000.00	गत तुलन-पत्र के अनुसार वर्ष के दौरान जोड़ा गया	2,00,000.00	
50,000.00	मासिक आय प्रमाण-पत्र में	—	
30,000.00	विशेष जमा योजना में	60,900.00	
—	राष्ट्रीय बचत योजना में	55,000	
2,10,000.00		3,15,900.00	
10,000.00	घटाएं—वर्ष के दौरान विमोचन	65,000.00	2,50,900.00
2,00,000.00			
	(ख) कर्मचारियों को ऋण		
20,320.00	गत तुलन-पत्र के अनुसार	32,575.00	
43,700.00	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	15,370.00	
64,020.00		47,945.00	
31,445.00	घटाएं—वर्ष के दौरान की गई वसूली	25,660.00	22,285.00
32,575.00			
13,238.15	(ग) यथा 31-3-85 को रोकड़ एवं बैंक आफ इंडिया में खाते में शेष		29,805.17
9,93,238.70			7,88,829.94

9'93,238.70

कुल

7,88,829.94

9,93,238.70

कुल

7,88,829.94

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद नई दिल्ली-55

योजना

वर्ष 1980-81 से 1984-85 तक के कार्य का विवरण

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त अनुदान निम्न प्रकार है—		परिषद् द्वारा डी०ए०वी०पी० को अग्रिम के रूप में दी गई राशि निम्न प्रकार है—	डी०ए०वी०पी० द्वारा किया गया एवं कार्यालय को सूचित किया गया व्यय निम्न प्रकार है—	डी०ए०वी०पी० में परिषद् का शेष लेन/देन निम्न प्रकार है—
1980-81	20,000.00	—	—	—
1981-82	1,00,000.00	1,20,000.00	26,720.20	शेष 93,279.80
1982-83	1,60,000.00	1,60,000.00	1,21,363.00	शेष 38,637.00
1983-84	1,60,000.00	1,60,000.00	74,386.43	शेष 85,613.57
1984-85	1,00,000.00	96,074.53	1,54,050.39	शेष 57,975.86
कुल	5,40,000.00	5,36,074.53	3,76,520.02	शेष 2,17,530.37
				घटाएँ 57,975.86
				शेष 1,59,554.51

विज्ञापन के लिए अन्यो को अदा को गई राशि निम्न है :-

1983-84	—	2,785.40
1984-85	3,925.47	1,140.00
	3,925.47	3,925.47

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् नई दिल्ली-55

योजना

वर्ष 1980-81 से 1984-85 तक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त अनुदान		5,40,000.00
वर्ष 1981-82 से 1984-85 तक परिषद् द्वारा डी०ए०वी०पी० को दी गई राशि	5,36,074.53	
वर्ष 1983-84 से 1984-85 तक परिषद् द्वारा अन्यो को दी गई राशि	3,925.47	5,40,000.00
घटाएं—डी०ए०वी०पी० द्वारा वर्ष 1981-82 से 1984-85 तक व्यय की गई राशि	3,76,520.02	
वर्ष 1983-84 से 1984-85 तक अन्यो द्वारा व्यय की गई राशि	3,925.47	3,80,445.49
31-3-85 को डी०ए०वी०पी० के पास शेष राशि		1,59,554.51

तुलन-पत्र 1984-85

दायित्व	1,59,554.51
तैयार की गई परिसम्पत्ति	1,59,554.51

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् नई दिल्ली-55

अंशदायी भविष्य निधि लेखा

31 मार्च, 1985 को समाप्त हुए वर्ष के लिये प्राप्तियों एवं भुगतानों का लेखा

प्राप्तियां	राशि	राशि	भुगतान	राशि	राशि
1-4-84 को आद्य शेष					
बैंक आफ इण्डिया के बचत खाते में कर्मचारियों द्वारा अतिरिक्त अंशदान	9,400.50	13,238.15	चालू खाते में स्थानान्तरित श्री सतपाल खत्री का परिषद् का अंशदान		352.30
कर्मचारियों द्वारा अंशदान	13,880.50		चालू खाते में स्थानान्तरित श्री सतपाल खत्री के परिषद् अंशदान पर ब्याज		12.85
परिषद् द्वारा अंशदान	13,880.50	37,161.50	बिनियोजन		
कर्मचारियों से ऋण की वसूली		25,660.00	विशेष जमा योजना में	60,900.00	
ऋण पर कर्मचारियों से वसूल किया गया और उनके खाते में जमा किया		105.60	राष्ट्रीय बचत योजना प्रमाण-पत्रों में (सप्तम निर्गम)	55,000.00	1,15,900.00
ब्याज			वर्ष के दौरान कर्मचारियों को दिया गया ऋण		15,370.00
बैंक आफ इण्डिया से परिपक्व मासिक आय प्रमाण-पत्र		65,000.00	31-3-85 को यथा अन्त शेष		
बैंक आफ इण्डिया से अर्जित ब्याज (मासिक आय प्रमाण पत्र बचत एवं विशिष्ट जमा योजना खाता)		20,275.07	बैंक आफ इण्डिया के बचत खाते में		29,805.17
		<u>1,61,440.32</u>			
कुल				कुल	<u>1,61,440.32</u>

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली-55

अंशदायी भविष्य निधि—31 मार्च, 1985 को यथा तुलन-पत्र

1983-84	परिसम्पत्ति द्वारा	राशि	राशि	1983-84	द्वारा परिसम्पत्तियों	राशि	राशि
	<u>परिषद् का अंशदान</u>			13,238.15	बैंक आफ इंडिया के बचत खाते में	—	29,805.17
53,240.86	गत तुलन-पत्र के अनुसार	69,377.26			सावधि जमा योजना		
16,136.40	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	13,880.50			(क) बैंक आफ इण्डिया में		
69,377.26		83,257.76		1,20,000.00	गत तुलन-पत्र के अनुसार	1,70,000.00	
	घटाएं—वर्ष के दौरान चालू खाते में स्थानान्तरित	352.30	82,905.46	50,000.00	वर्ष के दौरान जोड़ा गया		
				1,70,000.00			
69,377.26				—	घटाएं—विमोचन	65,000.00	1,05,000.00
	<u>कर्मचारी अंशदान</u>			1,70,000.00			
87,450.10	गत तुलन-पत्र के अनुसार	1,10,935.10			(ख) विशेष जमा योजना		
24,474.73	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	23,281.00			गत तुलन-पत्र के अनुसार	30,000.00	
1,11,924.83		1,34,216.10		—	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	60,900.00	90,900.00
	घटाएं—वर्ष के दौरान की गई अदायगी	—	1,34,216.10	30,000.00			
989.73				30,000.00			
1,10,935.10					(ग) राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों में (सप्तम निर्गम)		
	<u>परिषद् और कर्मचारियों के अंशदान पर ब्याज</u>			—	गत तुलन-पत्र के अनुसार	—	
48,996.41	गत तुलन-पत्र के अनुसार	65,500.79		—	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	55,000.00	55,000.00
16,740.61	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	20,380.67					
65,743.02		85,881.46		शून्य			
	घटाएं—वर्ष के दौरान चालू खाते में स्थानान्तरित राशि	12.85	85,868.61		<u>कर्मचारियों को ऋण</u>		
65,500.79				20,320.00	गत तुलन-पत्र के अनुसार	32,375.00	
				43,700.00	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	15,370.00	
				64,020.00			
				31,445.00	घटाएं—वर्ष के दौरान वापिसी	25,000.00	22,285.00
				32,575.00			
2,45,813.15	कुल		3,02,990.17	2,45,813.15	कुल		3,02,990.17


1351518

1983-84

विवरण	1983-84
प्रतिष्ठान का खर्च	69,37,25
आयुर्वेद विभाग का खर्च	12,89,50
अन्य विभागों का खर्च	22,38,76
कुल खर्च	1,04,65,51
आयुर्वेद विभाग का अंश	32,3,30
अन्य विभागों का अंश	69,37,25
कुल अंश	1,04,65,51
अनुदान	1,11,92,82
कुल	2,16,58,33
अनुदान का अंश	32,3,30
अन्य अंश	1,11,92,82
कुल अंश	1,44,25,12
अनुदान का अंश	32,3,30
अन्य अंश	1,11,92,82
कुल अंश	1,44,25,12
अनुदान का अंश	32,3,30
अन्य अंश	1,11,92,82
कुल अंश	1,44,25,12
अनुदान का अंश	32,3,30
अन्य अंश	1,11,92,82
कुल अंश	1,44,25,12

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

(Reconstituted in May, 1984)



CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

Annual Report & Audited Accounts for the
Year 1984-85

The Central Council of Indian Medicine is a statutory body constituted under the Indian Medicine Central Council Act, 1970 by the Government of India, Ministry of Health & Family Welfare, New Delhi. The first Central Council of Indian Medicine was constituted in 1971.

The main functions of the Council are as under :—

1. To prescribe minimum standards of education for courses in Indian Systems of Medicine, viz. Ayurveda, Siddha and Unani.
2. To advise Central Government in matters relating to recognition of medical qualifications of Indian Medicine.
3. To maintain the Central Register of Indian Medicine and revise the Register from time to time.
4. To regulate practice in Indian Medicine and prescribe Standards of Professional Conduct and Etiquette and Code of Ethics to be observed by the practitioners of Indian Medicine.

The Central Council was reconstituted vide Government of India Notification in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section-3 Sub-Section (ii) dated the 7th May, 1984. The following are the members of the reconstituted Central Council and its various Committees :—

AYURVED

1. Dr. Dubagunta Radhakrishnamurthy
2. Dr. Prativadi B. Satakopacharya
3. Dr. Sukumar Bhattacharjee
4. Dr. Deovrat Narayan Singh

5. Dr. Maheshwar Pandey
6. Dr. Indra Mohan Jha
7. Dr. Alakh Narayan Singh
8. Dr. Janardan Nandkumar Dave
9. Dr. D. R. Patel
10. Dr. Krishna Chandra Sharma
11. Dr. Gulshan Ray Sharma
12. Kaviraj Bhupendra Nath Gupta
13. Vaidya Gauri Shankar Dwivedi
14. Vaidya Panchayya Hosmath
15. Dr. A.C. Rahula Kumar
16. Dr. K. Madhavan Nair
17. Vaidya Mahesh Dutt Sharma
18. Dr. Prasanna Kumar Jain
19. Vaidya Hari Krishna S. Joshi
20. Dr. Sangappa Irappa Nagral
21. Dr. Ghansyam Mangaldas Bhawsar
22. Dr. Swapneshwar Panda
23. Vaidya Parmod Kumar Tewari
24. Vaidya Madan Mohan Pushkarna
25. Dr. V. Narayanaswami
26. Dr. Ram Prakash Gupta
27. Dr. Hukam Chandra Sharma
28. Dr. Ram Kumar Sharma
29. Dr. Prem Dutt Sharma
30. Dr. Mahendra Dutt Sharma
31. Dr. Ananda Roy
32. Dr. K. Bhoopal Reddy (ceased to be member)
33. Dr. V. Krishna Murthy
34. Dr. T. Srinivas Rao
35. Dr. Satya Prakash Dixit
36. Dr. Tarni Kanta Talukdar
37. Vaidya Shiv Kumar Vyas
38. Vaidya Hirubhai Kuberbhai Patel

39. Dr. Brahma Swarup Sharma
40. Dr. Ram Dev (ceased to be member from 5.9.84)
41. Dr. L. Chikkarajanna
42. Dr. Gurupadappa Nandabasappa Biradar
43. Dr. R.R. Bhat (resigned)
44. Dr. S.M. Angadi
45. Dr. P. Sankaran Nair
46. Dr. Ram Vilas Sohgaure (ceased to be member)
47. Dr. Bhagyawanti Verma
48. Dr. Dhiresch Chandra Dixit (ceased to be member)
49. Dr. Mahadeo Prasad Pandey
50. Dr. Suresh Chandra Saxena
51. Dr. Vijay Shankar Trivedi
52. Vaidya Shri Ram Sharma
53. Vaidya Shrinivas Dattatreya Jalukar
54. Vaidya Shivkaran Sharma Chhangani
55. Vaidya Pandurang Hari Kulkarni
56. Vaidya Shrikrishna Govind Phadke
57. Prof. Hari Shankar Pandey
58. Dr. Raghuvar Dutt Sharma
59. Dr. P.P. Sharma (ceased to be member)
60. Vaidya Ram Prakash Swami
61. Dr. T. Achyuthan Kutty Nair
62. Vaidya Harischandra Shukla
63. Vaidya Hariharnath Upadhaya
64. Dr. Lakshman Chandra Sengupta (expired 5.11.85)
65. Vaidya S.K. Mishra
66. Vaidya Jagannath Mishra
67. Dr. P.K. Debnath
68. Dr. R.C. Chaturvedi
69. Vaidya Hari Narayan Swami
70. Prof. V.J. Thakar
71. Dr. Ramesh Mishra
72. Prof. P.V. Sharma

73. Dr. S.T. Gujar
74. Vaidya Devendra Kumar Triguna
75. Vaidya Nanak Chand Sharma
76. Vaidya K.S. Varier
77. Dr. B.A. Hiremath
78. Dr. Satyapal Gupta
79. Dr. D.L. Narayana
80. Vaidya K. Sadashiv Sharma
81. Vaidya Chandrashekhar Gaur
82. Kaviraj M.C. Nanda
83. Vaidya P.C. Bhattacharjee

SIDDHA

1. Dr. D. Eramya Vaidyan
2. Dr. G. Annaswamy
3. Dr. C.P. Ramanathan
4. Dr. C.S. Uthamaroyan
5. Dr. A. Anandkumar
6. Dr. P. Gurusironmani (resigned on 9.2.85)
7. Dr. K. Palanichamy

UNANI

1. Dr. Nazeer Ahmed Siddique (expired)
2. Hakim Mohd. Ashraf Karim
3. Dr. Madan Sarup Gupta
4. Hakim Mohammad Umar
5. Hakim Dharam Chand
6. Dr. Daulat Ram Bharaj
7. Dr. Bansi Lal Pandita
8. Dr. Abdur Rahman
9. Hakim Abdul Mujeeb Khan (expired)
10. Hakim Abdul Mobin Khan
11. Hakim Ved Prakash Sharma
12. Hakim Mohd. Iqbal Khan
13. Prof. Hakim Syed Khaleefathullah
14. Dr. M.T. Khan
15. Hakim Fazlur Rahman
16. Dr. A.S. Maqbool Ahmed (ceased to be member)

17. Hakim Mohd. Ahmad Lari
18. Dr. Syed Shaji Hyder
19. Dr. S.K. Khadri
20. Prof. Hakim Mohd. Taiyab
21. Hakim M.A. Razzack
22. Hakim Abdul Hameed
23. Hakim Faizan Ahmed
24. Hakim Faiyaz Alam
25. Dr. J.D. Sanderwale

The first meeting of reconstituted Central Council of Indian Medicine was held from 17th to 19th July, 1984. The following office bearers of the Council were elected :—

1. Prof. Hakim Syed Khaleefathullah—President
2. Dr. Ram Kumar Sharma - Vice-President (Ayurved)
3. Dr. A. Anandkumar—Vice-President (Siddha)
4. Hakim M.A. Razzack—Vice-President (Unani)
5. Dr. S.I. Nagral—Chairman, Education Committee (Ayurved)
6. Dr. A. Anandkumar—Chairman, Education Committee (Siddha)
7. Prof. Hakim Mohd. Taiyab—Chairman, Education Committee (Unani)
8. Dr. Prasanna Kumar Jain—Chairman, Registration Committee
9. Vaidya Mahesh Dutt Shastri—Chairman, Regulation Committee

As per Section 9(1) of IMCC Act, 1970 the Central Council has the following main Committees namely :—

1. Ayurved Committee
2. Siddha Committee
3. Unani Committee

The above Committees consist of members elected under Clause (a), (b) and nominated under clause (c) of sub section (1) of Section 3 representing the Ayurved, Siddha & Unani Systems of Medicine.

The Vice-Presidents for each of the Ayurved, Siddha & Unani Systems of Medicine elected under sub-section (3) of section 3 are respectively the Chairman of the Committees referred to above.

Subject to such general or specific directions as the Central Council may from time to time give, each such Committee is competent to deal with any matter relating to Ayurved, Siddha and Unani Systems of Medicine, as the case may be, within the competence of the Central Council.

Apart from the above main Committees, the Central Council constituted the following Committees to carry out various functions of the Council :—

EXECUTIVE COMMITTEE

The Executive Committee was constituted in accordance with the regulation No. 5 of the Central Council of Indian Medicine (General) Regulations, 1976 to discharge the functions of the Council within the framework of the Act and the rules and regulations made thereunder in accordance with the general policy and principles laid down by the Central Council. The Committee is fully represented by three different systems of Indian Medicine i.e. Ayurved, Siddha & Unani.

The following are the members of the Executive Committee :—

1. Prof. Hakim Syed Khaleefathullah (Chairman)
2. Dr. Ram Kumar Sharma (Vice-President (Ay.))
3. Dr. A. Anandkumar (Vice-President (Siddha))
4. Hakim M.A. Razzack (Vice-President (Unani))
5. Dr. S.T. Gujar
6. Vaidya Pramod Kumar Tewari
7. Vaidya Sriram Sharma
8. Dr. K. Madhavan Nair
9. Prof. Hakim Mohd. Taiyab
10. Hakim Ved Parkash Sharma
11. Dr. K. Palanichamy

REGULATION COMMITTEE

The Regulation Committee was constituted by the Council to draw up various regulations of the Central Council as required from time to time and to consider various matters relating thereto under the IMCC Act, 1970.

The following are the members of Regulation Committee :

Chairman	Vaidya Mahesh Dutt Sharma
Members	Prof. Hakim Syed Khaleefathullah (President, CCIM)
	Dr. Ram Kumar Sharma (Vice-President (Ayurved))
	Dr. A. Anandkumar (Vice-President (Siddha))
	Hakim M.A. Razzack (Vice-President (Unani))

Vaidya Madan Mohan Pushkarna
 Vaidya Pandurang Hari Kulkarni
 Vaidya Hari Narayan Swami
 Vaidya Harishchandra Shukla
 Dr. Swapneswhar Panda
 Vaidya Panchayya Hosmath
 Dr. Mahendra Dutt Sharma
 Dr. Janardan Nandkumar Dave
 Dr. T. Achyuthan Kutty Nair
 Dr. Prativadi B. Satakopacharya
 Dr. Maheshwar Pandey
 Dr. T. Srinivas Rao
 Dr. Gulshan Ray Sharma
 Dr. Dubagunta Radhakrishnamurthy
 Dr. J. D. Sanderwale
 Dr. A.S. Maqbool Ahmed
 Dr. Bansi Lal Pandita
 Dr. Abdur Rahman
 Hakim Dharma Chand
 Dr. D. Eramya Vaidyan

REGISTRATION COMMITTEE

The Council constituted a Registration Committee to look into the matters relating to recognition and inclusion of various medical qualifications in the Schedules to IMCC Act, 1970 and to make recommendations on the subject. The consideration of the matters relating to the registration is also under the purview of this Committee.

The following are the members of Registration Committee :—

Chairman Dr. Prasanna Kumar Jain
 Members Prof. Hakim Syed Khaleefathullah (President, CCIM)
 Dr. Ram Kumar Sharma (Vice-President (Ay.))

Dr. A. Anandkumar (Vice-President (Siddha))
 Hakim M.A. Razzack (Vice-President (Unani))
 Prof. R.C. Chaturvedi
 Dr. Ghansyam Mangaldas Bhawsar
 Dr. Krishna Chandra Sharma
 Vaidya Hari Krishna S. Joshi
 Dr. P.K. Debnath
 Dr. Ram Vilas Sohgaure (ceased to be member)
 Vaidya Shiv Kumar Vyas
 Dr. Prem Dutt Sharma
 Dr. A.C. Rahula Kumar
 Dr. D.R. Patel
 Dr. B.A. Hiremath
 Dr. L. Chikkarajanna
 Dr. Ram Parkash Gupta
 Dr. Indra Mohan Jha
 Dr. P. Gurusiromani (Resigned)
 Hakim Abdul Mujeeb Khan (Expired)
 Hakim Mohd. Taseem Khan
 Hakim Mohammed Umar
 Dr. Daulat Ram Bharaj
 Hakim Faizan Ahmed

EDUCATION COMMITTEE (AYURVED, SIDDHA & UNANI)

The Education Committees are competent to deal with all the matters pertaining to Ayurved, Siddha & Unani education respectively.

The following are the members of the Education Committees of Ayurved, Siddha & Unani :

EDUCATION COMMITTEE (AYURVED)

Chairman Dr. S.I. Nagral
 Member Dr. Ramkumar Sharma (Vice-President (Ay.))

Dr. Bhagyawanti Verma
 Vaidya Shriram Sharma
 Vaidya Devendra Kumar Triguna
 Vaidya Pt. Shiv Karan Sharma Changani
 Vaidya Nanak Chand Sharma
 Vaidya Ram Parkash Swami
 Dr. Tarni Kant Talukdar
 Dr. K. Bhopal Reddy (ceased to be member)
 Dr. R.P. Gupta
 Dr. G.N. Biradar
 Dr. Anand Roy
 Dr. S.P. Gupta
 Dr. S.G. Phadke
 Dr. S.M. Angadi
 Dr. Hukam chandra Sharma
 Dr. S.P. Dixit
 Dr. P. Sankaran Nair
 Vaidya S.K. Mishra
 Vaidya Jagannath Mishra
 Vaidya Hirubhai Kuberbhai Patel
 Prof. P.V. Sharma
 Dr. Hari Shankar Pande
 Dr. Ramesh Mishra
 Dr. Brahma Swaroop Sharma
 Dr. B.N. Gupt
 Dr. V. Narayanswami

EDUCATION COMMITTEE (SIDDHA)

Chairman Dr. A. Anandkumar
 Members Dr. C.S. Uthamaroyan
 Dr. G. Annaswamy
 Dr. K. Palanichamy

EDUCATION COMMITTEE (UNANI)

Chairman Prof. Hakim M. Taiyab
 Members Hakim M.A. Razzack (Vice-President (Unani))
 Hakim Fazlur Rahman
 Hakim S. Shaji Hyder
 Hakim Ashraf Karim
 Hakim Abdul Mobin Khan
 Hakim Abdul Hameed
 Hakim Faiyaz Alam
 Hakim S.K. Khadri
 Hakim Nazeer Ahmed Siddique (Expired)
 Hakim Mohd. Iqbal Khan
 Hakim Mohd, Ahmad Lari
 Dr. Madan Sarup Gupta

The following meetings of the Central Council and its Committees were held during the year :—

1. Central Council	...	2
2. Executive Committee	...	4
3. Education Committee (Ayurved)	...	2
4. Education Committee (Unani)	...	1
5. Education Committee (Siddha)	...	1
6. Registration Committee	...	1

The annual meeting of the Central Council was held on 30th & 31st March, 1985 at Vigyan Bhavan, New Delhi.

The Council passed the condolence resolution on assassination of Mrs. Indira Gandhi, Prime Minister of India.

The Council also passed condolence resolutions on sad demise of Hakim Abdul Muzeeb Khah & Hakim Nazeer Ahmed Siddiqui members of Central Council.

The Council confirmed the minutes of the 15th meeting of Central Council held from 17th to 19th July, 1985. The Council also ratified the minutes of the following meetings :—

- (a) 43rd meeting of the Executive Committee held on 8.8.83
- (b) 44th meeting of the Executive Committee held on 26.2.84

- (c) 45th meeting of the Executive Committee held on 18.7.84
- (d) 46th meeting of the Executive Committee held on 1.10.84
- (e) 47th meeting of the Executive Committee held on 17.1.85
- (f) 48th meeting of the Executive Committee held on 30.3.85
- (g) 15th meeting of the Registration Committee held on 24.11.83
- (h) 16th meeting of the Registration Committee held on 4.3.85
- (i) 15th meeting of the Ayurved Committee held on 29.3.85
- (j) 14th meeting of Siddha Committee held on 29.3.85.
- (k) 16th meeting of Unani Committee held on 29.3.85

The important decisions taken by the Central Council are as under :—

Decided that the Central Council of Health be requested to direct all State Governments/Union Territories to amend their State Acts so as to bring the Schedules of qualifications therein inconsonance with the qualifications recognised under the IMCC Act, 1970.

The amended Standing Orders of the Central Council of Indian Medicine and the retiring benefits rules for the employees of the Central Council were approved for submission to the Central Government.

The budget estimates (Non-Plan) of the Central Council for the year 1985-86, amounting to Rs. 14,29,000/- and revised estimates for the year 1984-85 amounting to Rs. 10,37,581.91 as approved by Executive Committee were agreed to by the Council.

The budget estimates (Plan) for the year 1985-86 amounting to Rs. 14,60,000/- and revised estimates for the year 1984-85 amounting to Rs. 2,00,000/- as approved by Executive Committee were agreed to by the Council for submission to the Central Government.

The Council agreed to the proposal of the President of the Central Council as approved by the Executive Committee as follows :

1. **Educational Standards** : The institutions of Indian Systems of Medicine are to be inspected/visited for their academic and physical standards.

2. **Review of Curriculum and Syllabus** : The concerned Education Committee should review Curriculum and Syllabus of the Under Graduate and Post Graduate Courses in view of the experience of the past. The syllabus be oriented to the needs of the country. The portion of Primary Health Care be highlighted.

3. **Central Register** : The opinion of the State Registrars should be ascertained before embarking on the programmes.

For implementation of these three recommendations a total amount of Rs. 4 lakhs should be sanctioned by the Government for TA & DA expenses apart from the usual expenses of the Council.

The Council appreciated the steps taken by the President of the Central Council to persuade the World Health Organisation for providing funds to the Central Council for convening a Seminar in New Delhi on Primary Health Care.

A Sub Committee was constituted consisting of three Vice-Presidents, Dr. S.T. Gujar & Hakim M. Taiyab to draft final recommendations for amendment to the Indian Medicine Central Council Act, 1970.

On the resolution of Dr. M.P. Pandey regarding parity in the pay scales of the employees of the Central Council and Medical Council of India, the Executive Committee was of the view that as the new recruitment rules are to be finalised by the Executive Committee the views expressed in the resolution be kept in view at the time of finalisation of recruitment rules.

Regarding letter received from Dr. M.S. Gupta, the Council was of the view that the Government of India be requested to provide the facilities to the Unani and Siddha graduates also as provided to Ayurveda graduates under O.M. No. S-14025/13/83-MS dated 16.12.84 by the Government of India, Ministry of Health and Family Welfare.

The Kamil-e-Tib-O-Jarahat qualification awarded by Board of Indian Medicine, Rajasthan, Jaipur was recommended for its inclusion in the Schedule to IMCC Act, 1970 keeping in view observations of Unani Committee on visitation report of colleges affiliated there to.

Regarding reimbursement of medical bills issued by the practitioners of Indian Systems of Medicine possessing the recognised medical qualification under IMCC Act, 1970 the Council is of the view that the 10th Joint Conference of the Central Council of Health and Family Welfare has already made recommendations to this effect. Hence the Govt. be requested to implement the same.

It was decided that the bed strength in institutions should be atleast 60 initially so that 1:3 student-bed-ratio is followed.

The admission qualification to Ayurvedacharya Course was approved as under :—

“Intermediate/12th standard with Science (Physics Chemistry & Biology) and Sanskrit.

Wherever provision and facilities for teaching Sanskrit as optional subject are not available at Intermediate/12th standard (biology-Science Group) the students with Intermediate/12th standard (Biology-Science group) be admitted and Sanskrit be taught in main course.

OR

Uttar Madhyama of Sampurnanand Sanskrit Vishvavidyalaya with Science and English.

OR

Any other equivalent qualification recognised by State Governments/ State Education Boards concerned with the examination.

It has been also decided that the Pre-Ayurvedic Course as prevalent at present be abolished and the subjects of Pre-Ayurvedic Course be adjusted suitably in first year's course.

The Council ratified the teaching experience for the posts of Professor, Reader/Assistant Professor and Lecturer as under as approved by Ayurved Committee :—

Professor : Total teaching experience of ten years in the Department is necessary, out of which there should be five years teaching experience as Reader/Assistant Professor or Lecturer with 10 years teaching experience in the subject concerned where the post of Reader/Assistant Professor does not exist.

Reader/Asstt. Professor : Total teaching experience of five years in the subject is necessary, out of which there should be three years teaching experience as Lecturer in the subject concerned.

Lecturer : Total teaching experience of three years as Demonstrator or Junior Lecturer is necessary.

It was agreed to include the viva voce examination of 50 marks in the subjects of Ashtang Sangrah, Charak Samhita (Purvardh) & Charak Samhita (Uttarardh) of 1st, IVth and Vth year of Ayurvedacharya Course.

The qualification and experience for the post of Medical Superintendent and Deputy Medical Superintendent of Ayurvedic hospital were decided as under :—

MEDICAL SUPERINTENDENT

Essential :

1. Degree/Diploma in Ayurved having a duration of not less than 4 years included in the Second Schedule to IMCC Act, 1970.
2. Ten years experience as Deputy Medical Superintendent/Clinical teacher/M.O. in a teaching Hospital.

Desirable :—

1. Post-graduate degree or diploma in Ayurved included in the Second Schedule to IMCC Act, 1970.
2. Certificate/Diploma/Degree in hospital management and familiarity with various acts governing hospitals.
3. Knowledge of Sanskrit.

DEPUTY MEDICAL SUPERINTENDENT

Essential

- (i) Degree/Diploma in Ayurved having a duration of not less than 4 years included in the Second Schedule to the IMCC Act, 1970.
- (ii) Five years experience as clinical teacher or M.O. in a teaching hospital.

Desirable

- (i) Post-graduate qualification in Ayurved included in the Second Schedule to IMCC Act, 1970.
- (ii) A degree or diploma in hospital management.
- (iii) Knowledge of Sanskrit.

It was also decided that both these posts should be under the control of the Principal.

The recommendation of All India Seminar on National Health and Indigenous Systems organised by Bharat Nirman from 20th to 22nd November, 1983 that the syllabus in schools and colleges should include

general knowledge in domestic cares, simple Ayurvedic & Unani treatment uses of herbs etc. for health and beauty of the body and face was agreed to.

It was noted that some institutions are to be visited for granting permission to start Post graduate course in Ayurved. It was, therefore, decided that three members of the Council i.e. two members from the neighbouring states and one member from the same state should be appointed as visitors so that the co-operation of the member of concerned state could also be taken.

The visitation report of Government Ayurvedic college, Paprola submitted by Vaidya Pramod Tewari and Dr. Mahendra Dutt Sharma was accepted. It was decided that further admission in the institution be suspended and a strong letter be sent to the college forwarding copy to the Himachal Pradesh University and State Government. AD.O. letter from Chairman, Ayurveda Committee may also be sent to Chief Minister and Ayurveda Minister forwarding the copy to Vice-Chancellor.

The action taken by the Vice President (Ayurved) permitting SSMD Ayurvedic College, Moga and Dhanwantri Ayurvedic College, Chandigarh to admit 50 students in each college was approved. It was also decided that the necessary steps be taken for visitation of both the institutions along with State Faculty.

The Nagpur University may include "Population Education" in the syllabus of Ayurvedacharya Course as it is related to broad aspects of Parivar Kalyan. This may be implemented without disturbing the present pattern of Ayurvedic education.

On the recommendations of the visitors it was decided that further admission in Post graduate course in Astang Ayurved Mahavidyalaya, Pune be stopped. Regarding Tilak Ayurved Mahavidyalaya, Pune it was decided that the deficiencies pointed out by visitors be brought to the notice of authorities of the College and compliance report be asked for at the earliest.

Ayurved Mahavidyalaya, Nasik and K.G.M.P. Ayurved Mahavidyalaya, Bombay were allowed to conduct Post graduate Course in Ayurved.

The Council took strong exception for violation of prescribed Post graduate education regulations by the Institute of Medical Sciences,

Benaras Hindu University, Varanasi. It was decided that the Vice-President (Ayurved), Chairman, Education Committee (Ayurved) along with the Secretary of the Council may meet the authorities of the Banaras Hindu University, Varanasi to discuss the facts personally for solving the problems desired by the Central Government.

The Council passed the following resolutions of the members :

- (a) Central & State Governments including the Union Territories may be requested to include positively all the Central Council members of the respective States in all Committees, Faculties and Boards of Indian Systems of Medicine and they should be treated at par with Government Officials.
- (b) Co-ordination Committee should be constituted to deal with all the matters relating to registration, regulation and fill up the vacuum between the Council and the State and Central Government and the Council members to accelerate the decisions of the Council for implementation.
- (c) It was decided to constitute a Committee for planning the budget provision for the Indian Systems of Medicine.
- (d) A team of invited members along with Registrar of Central Council and Chairman, Ayurveda Committee should participate in the First World Congress of Ayurved and Yoga to be held at Italy in June, 1985 so as to propagate Ayurved in foreign countries for over all development of Ayurved.

The following admission qualification for Kamil-e-Tib-O-Jarahat degree course was recommended :—

- (a) Senior Secondary/+2/Intermediate or equivalent Oriental qualification. They will be eligible for admission to main five years course of BUMS.
- (b) Provision of admitting SSLC/Matriculation or equivalent qualification to 2 years Pre-Tib Course is kept open for the institutions which deem it necessary under their special circumstances.

NOTE : Preference shall be given to those who are proficient in Arabic or Persian.

The changes in the contents of the syllabus of the degree course of Kamil-e-Tib-O-Jarahat (Bachelor of Unani Medicine and Surgery) were approved.

It was decided to request the Jammu & Kashmir Government to look into the matter of reopening of Government Tibbi College at Srinagar and Government Ayurvedic College at Jammu.

The nomenclature of the Post-graduate diplomas of Unani Tibbi various subjects were decided as under :—

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| (a) Amraz-e-Uzn. Anf & Halaq (ENT) | D.L.O. (U) |
| (b) Amraz Ain (Ophthalmology) | D.O. (U) |
| (c) Amraz-e-Atfal | D.C.H. (U) |
| (d) Amraz-e-Jild | D.D. (U) |
| (e) Amraz-e-Mufasil-wa-Izam | D. Ortho (U) |

The Council accepted the recommendation Nos. 2,5,7,8 & 9 of 10th Joint Conference of the Central Council of Health and Family Welfare held from 9th to 11th July, 1984 on standardisation of colleges of I.S.M.

The Council approved the final list of Oriental qualifications equivalent qualification for admission to Unani Colleges.

The Council recommended the qualification and experience for the post of Principal in Unani College as under :

Essential :—

1. First class or good second class degree or diploma from an Institution which is recognised under Indian Medicine Central Council Act, 1970.
2. Teaching experience of at least 10 years.

Desirable :—

1. Atleast five years administrative experience
2. Post-graduate qualification in Unani Tib.
3. Original published work on any subject of the Unani Tib.
4. Good knowledge of Arabic/Persian.

The draft regulations for internship for the successful students of Siddha degree course were approved.

The Council recommended to Ministry of Health and Family Welfare to take necessary and appropriate steps to get the Siddha Medical literature translated into Hindi and English. A separate cell in Ministry of Health and Family Welfare be created for this specific work.

The Council decided to request the Ministry of Health and Family Welfare to expedite the printing of the English version of National Formulary of Siddha and to take necessary steps to translate it in Hindi also.

The Council decided to recommend the Ministry of Health and Family Welfare that appropriate steps should be taken to manufacture certain ancient well proved life saving drugs belonging to the Siddha system of Medicine for the wider use all over the country.

The Council recommended for participation of Siddha Medical experts in the National Programmes of Health and Family Welfare under government of India.

It was decided to request the Ministry of Health and Family Welfare to constitute an expert committee which includes representatives from all the States to prepare a co-ordinated plan of action for the procurement and distribution of raw materials for the production of Indian Medicine all India level to achieve an even, constant and adequate supply of raw drugs to the pharmaceutical industries of Indian Systems of Medicine.

The exact nomenclature of qualification awarded by M.D. University, Rohtak as Ayurvedacharya (Graduate in Ayurvedic Medicine & Surgery) was recommended to the Central Government.

Regarding Ayurvedacharya qualification awarded by Mangalore University, Mangalore it was decided that the visitation of the institution as well as the university be conducted for assessment of minimum standard, following of prescribed regulations as well as verification of information supplied by the University. It was also decided to recommend the inclusion of the qualification upto 1985 only.

Regarding inclusion of Ayurvedacharya (Bachelor of Ayurvedic Medicine & Surgery) qualification awarded by Punjab State Faculty in the Second Schedule to Indian Medicine Central Council Act, 1970, it was decided that the Punjab State Faculty of Ayurvedic and Unani Systems of Medicine be got visited, keeping in view grievances regarding corruption rampant in the Faculty as alleged by some members.

Regarding recognition of Kamil-e-Tib-O-Jarahat (BUMS) qualification of Jamia Tibbia, Darul Uloom, Deoband, it was decided that no such private organisation be allowed to award a degree. The institutions conducting the degree course of ISM be got affiliated with any University of that area or jurisdiction. However, the above institution be inspected in the first instance.

The Council agreed to the proposal of the Central Government for making the following amendment to the Second Schedule to the IMCC Act, 1970 :

1. In part I of the said Schedule, against serial No. 107-A relating to Kanpur University, Kanpur in columns 2,3 & 4 for the existing entries, the following entries shall be substituted namely :—

Ayurvedacharya
(Bachelor of Ayurveda with Modern Medicine and Surgery) B.A.M.S. From 1972 to 1982

Ayurvedacharya
(Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery) B.A.M.S. From 1983 onwards

2. In part II of the said schedule against serial No. 22-A relating to Kanpur University, Kanpur in columns 2,3 & 4 for the existing entries, the following entries shall be substituted namely :—

Fazil-e-Tib-O-Jarahat
(Bachelor of Unani with Modern Medicine & Surgery) B.U.M.S. From 1972 to 1982

Kamil-e-Tib-O-Jarahat
(Bachelor of Unani Medicine & Surgery) B.U.M.S. From 1983 onwards

The Council agreed to recognise the changed nomenclature of qualification awarded by Paschim Bang Ayurved Parishad, Calcutta as under :—

- (i) A.S.F. to D.A.M.S. — 1946 to 1983
- (ii) M.A.S.F. to B.A.M.S. — 1940 to 1984

The Ayurvedacharya (Bachelor of Ayurvedic Medicine & Surgery) qualification of Calcutta University, Calcutta was recommended for inclusion from 1982 onwards.

Regarding extension of recognition of the Fazil-ut-tib-(D.U.M.) degree awarded by Jamia Tibbia, Darul-Uloom, Deoband beyond 1984, it was decided that the visitation of institution might be carried out to assess the minimum standards of institution as well as examining body.

COPY

No. OAD-IV/2-7/CCIM/85-86/308

Office of the

Director of Audit, Central
Revenues, NEW DELHI-2

Dated

To

The Secretary to the Govt. of India,
Ministry of Health & Family Welfare,
(Department of Health),
Nirman Bhawan,
NEW DELHI.

Sub :—Audit Report on the Central Council for Indian Medicine for 1984-85.

Sir,

I am to forward herewith a copy of the certified annual accounts of the Central Council for Indian Medicine, New Delhi for the year 1984-85 together with the Audit Certificate thereon.

The Audit Report thereon may please be treated as 'NIL'.

These copies of the documents as presented to Parliament may please be furnished to this office and also to the office of the Comptroller and Auditor General of India, New Delhi indicating the dates on which they were presented.

Kindly acknowledge the receipt.

Yours faithfully,

sd/-

(D.N. THAPAR)

Dy. Director of Audit (Insp. I)

No. OAD. IV/2-7/CCIM/85-86

(1) Copy together with a copy of certified accounts forwarded to the Registrar, Central Council of Indian Medicine, 1/6, Swami Ramirth Nagar, New Delhi-55, A statement showing the dates of audit is also enclosed.

(2) Copy forwarded to Shri L. Sarangapani, Administrative Officer (AE) Office of the C. & A. G. of India, New Delhi together with a copy of Audit Certificate, statement incorporating replies to Headquarters comments and proforma showing the dates of audit with reference to Hq.'s letter No. 500-Rep (AB)/124-85 dated 5.11.1985.

sd/-

(D.N. THAPAR)

Dy. Director of Audit (Insp. I)

COPY

AUDIT CERTIFICATE

I have examined the accounts and the Balance Sheet of the Central Council of Indian Medicine for the year ending 31st March, 1985. I have obtained all the information and explanations that I have required. I certify as a result of my audit, that in my opinion, these accounts and the balance sheet are properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Council according to the best of my information and explanations given to me and as shown by the books of the Council.

sd/

DIRECTOR OF AUDIT (CRI)

New Delhi

Dated : 25.11.85

COPY

STATEMENT SHOWING THE PROGRESS OF AUDIT OF THE
ACCOUNTS OF THE CENTRAL COUNCIL OF INDIAN
MEDICINE FOR THE YEAR

1984-85

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Receipt of annual accounts
(English Version) | 9.8.1985 |
| 2. Duration of Audit | 3.9.1985 to
16.9.1985 |
| 3. Discussion of Inspection Report | 16.9.1985 |
| 4. Inspection Report received in OAD (Hqrs.) | 19.9.1985 |
| 5. Draft Audit Report issued to the Council. | 11.10.1985 |
| 6. Final Audit Report issued to the Govt. | 25.11.1985 |

sd/-

(D.N. THAPAR)

DY. DIRECTOR OF AUDIT (Insp. I.)

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
NEW DELHI-110055

RECEIPT & PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 1985

RECEIPT	AMOUNT	AMOUNT	PAYMENT	AMOUNT	AMOUNT
Opening Balance as on 1.4.1984			I. Pay & Allowances		
Bank Balance in Current Account with Bank of India	27,381.70		Pay of Officers	15,968.86	
Cash in hand	235.85		Leave Salary of Officers	1,081.14	
Stamps in hand	99.20		Pay of Establishment	94,505.55	
Stamps in Franking Machine	3,825.75	11,542.50	Leave Salary of Establishment	11,425.95	
Grant-in-aid received from the Ministry of Health & Family Welfare, New Delhi under Non-Plan during the year 1984-85.		8,36,000.00	Dearness & Additional Dearness Allowances	1,83,707.48	
Grant-in-aid received from the Ministry of Health & Family Welfare, New Delhi under Plan during the year 1984-85.		1,00,000.00	House Rent Allowance	32,392.43	
Recovery made from Employees			City Compensatory Allowance	10,108.49	
Cycle Advance	850.00		Washing Allowance	266.40	
Scooter Advance	1,500.00		Medical fee Re-imbusement	521.10	
Festival Advance	2,920.00		Tution Re-imbusement	131.00	
Interest on Cycle Advance	59.80	5,329.80	Leave Travel Concession	1,854.00	
Amount received from employees for deposit in Cumulative Time Deposit Scheme		13,440.00	Overtime Allowance	2,039.60	
Amount received from Employees for deposit in Lal Imali Credit Sale Scheme		2,801.50	Interim Relief	16,291.38	
Amount received from Plan Expenditure of 1983-84		2,785.47	Bonous	7,909.10	
Adjustment of TA/DA advance granted during the year 1983-84		3,332.00	Amount Paid in Cumulative Time Deposit Scheme	13,440.00	
Amount received from Contributory Provident Fund on account of Council's Contribution and Interest and other Miscellaneous.		405.15	Amount Paid in Lal Imali Credit Sale Scheme	2,801.50	
Amount received from Sh. R.K. Jain and Sh. S.K. Singh for deposit Income Tax.		1,730.00	Bank Chargee	167.00	
Amount received from unservicable articles		658.00	Salary to PA of President	750.00	3,95,360.98
Amount received from World Health Organisation for organising the Seminar on Indian Systems of Medicine		29,000.00	H. Contingencies		
Amount of Contributory Provident Fund of Sh. Brij Raj		60.00	(a) Stationary	10,836.75	
Balance C/F		10,27,084.42	Repair of Typewriter & Duplicating Machine	3,174.73	
			Telephones	6,212.50	
			Postage & Telegram	8,445.15	
			Printing Expenses	12,346.67	
			Newspapers & Periodical Books	608.50	
			Sundries including Liveries	30,163.15	
			Building Rent	56,400.00	
			Electric Expenses	4,062.75	
			Conveyance Expenses	2,764.75	
			Press Advertisement (Plan)	97,214.53	
			Press Advertisement (Non Plan)	864.00	
			Hot & Cold Weather Estt.	4,850.00	
			Audit Fees	4,950.00	
			Legal Expenses	500.00	
			Maintenance of Office	11,769.65	2,55,163.13
			Balance C/F		6,50,524.11

Balance B/F

10,27,084.42

Balance B/F

6,50,524.11

(b) Non-Recurring Expenditure

Books for Library 217.00

III. TA/DA to Members/Staff for various meeting

Secretary/Establishment	4,466.50	
Members of Council	1,96,150.25	
Members of Executive Committee	28,809.80	
Members of Education Committee (Ay)	23,029.90	
Members of Education Committee (Unani)	9,624.40	
Members of Education Committee (Siddha)	160.00	
Members of Registration Committee	14,322.20	
Members of Selection Committee	145.90	
Members of Sub-Committee	960.30	
Members of Visiting Committee	6,169.50	

2,83,838.75

TA/DA as a result of adjustment of Advance of Last Year 1983-84	3,332.00	2,87,170.75
---	----------	-------------

IV. Advance TA to Members for various meeting

Members of Council	2,500.00	
Members of Registration Committee	700.00	3,200.00

V. Council Contribution 13,880.50

VI. Remittance of Income Tax

Amount paid to Income Tax of Sh. R.K. Jainand Sh. S.K. Singh	1,730.00	
--	----------	--

VII. Amount paid to parties on account of old uncashed cheques 2,479.10

VIII. Advance to Staff

Festival Advance	2,600.00	
Cycle Advance	550.00	3,150.00

Closing Balance as on 31.3.1985

* Bank Balance in Current A/c with Bank of India	* 61,923.16	
Cash in hand	500.00	
Stamps in hand	69.30	
Stamps in Franking Machine	2,240.50	64,732.96

* Total Book Balance on 31.3.1985	61,923.16	
Less W.H.O Amount	29,000.00	

Actual Book Balance 31.3.85	32,923.16	
-----------------------------	-----------	--

TOTAL

10,27,084.42

TOTAL

10,27,084.42

Balance B/F

10,27,084.42

Balance B/F

6,50,524.11

(b) Non-Recurring Expenditure

Books for Library		217.00	
III. TA/DA to Members/Staff for various meeting			
Secretary/Establishment	4,466.50		
Members of Council	1,96,150.25		
Members of Executive Committee	28,809.80		
Members of Education Committee (Ay)	23,029.90		
Members of Education Committee (Unani)	9,624.40		
Members of Education Committee (Siddha)	160.00		
Members of Registration Committee	14,322.20		
Members of Selection Committee	145.90		
Members of Sub-Committee	960.30		
Members of Visiting Committee	6,169.50		
	<u>2,83,838.75</u>		
TA/DA as a result of adjustment of Advance of Last Year 1983-84	3,332.00	2,87,170.75	
IV. Advance TA to Members for various meeting			
Members of Council	2,500.00		
Members of Registration Committee	700.00	3,200.00	
V. Council Contribution			13,880.50
VI. Remittance of Income Tax			
Amount paid to Income Tax of Sh. R.K. Jainand Sh. S.K. Singh			1,730.00
VII. Amount paid to parties on account of old uncashed cheques			2,479.10
VIII. Advance to Staff			
Festival Advance	2,600.00		
Cycle Advance	550.00	3,150.00	
Closing Balance as on 31.3.1985			
* Bank Balance in Current A/c with Bank of India	* 61,923.16		
Cash in hand	500.00		
Stamps in hand	69.30		
Stamps in Franking Machine	2,240.50	64,732.96	
* Total Book Balance on 31.3.1985	61,923.16		
Less W.H.O Amount	29,000.00		
Actual Book Balance 31.3.85	<u>32,923.16</u>		
TOTAL			<u>10,27,084.42</u>

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

NEW DELHI-110055

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 1985

EXPENDITURE	AMOUNT	AMOUNT	INCOME	AMOUNT	AMOUNT
I. Pay & Allowance			Grant-in-aid received from Ministry of Health & Family Welfare, New Delhi under Non-Plan during the year 1984-85.		8,36,000.00
Pay of Officers	15,968.86		Interest on Cycle Advance		59.80
Leave Salary of Officers	1,081.14		Receipt from Contributory Provident Fund and Miscellaneous		405.15
Pay of Establishment	94,505.55		Receipt from unservicable Articles		658.00
Leave Salary of Establishment	11,425.95		(a) Contribution of Group Insurance Scheme	137.50	
Dearness & Additional Dearness Allowance	1,83,707.48		(b) Subscription toward C.P. Fund	100.00	
House Rent Allowance	32,392.43		(c) Undisbursed amount of DA/ADA	33.80	
City Compensatory Allowance	10,108.49		(d) Undisbursed amount of House Rent Allowance	41.19	
Washing Allowance	266.40		(e) Undisbursed amount of City Compensatory Allowance	12.33	324.82
Medical Reimbursement	521.10		Excess of expenditure over Income		671.56
Tuition fee Reimbursement	131.00				
Leave Travel Concession	1,854.00				
Overtime Allowance	2,039.60				
Interim Relief	16,291.38				
Bonous	7,909.10				
Bank Charges	167.00				
Salary to PA to President	750.00	1,78,119.48			
II. CONTINGENCIES					
Stationary	10,836.75				
Repair of Typewriters & Duplicating Machine	3,174.73				
Telephones	6,212.50				
Postage & Telegram	8,445.15				
Printing Expenses	12,346.67				
Newspaper & Periodical Books	608.50				
Sundries including Livories	30,163.15				
Building Rent	56,400.00				
Electric Expenses	4,062.73				
Press-Advertisement (Non-Plan)	864.00				
Hot & Cold Weather Estt.	4,850.00				
Balance C/F	1,37,964.30	1,78,119.48	Balance C/F		8,38,119.33

	Balance B/F	1,37,964.20	3,79,119.48
Audit Fee		4,950.00	
Legal Expenses		500.00	
Maintenance of office Equipments		11,769.65	
Conveyence Expenses		2,764.75	1,57,948.60

Balance B/F 8,38,119.33

III. TA/DA TO MEMBERS/STAFF FOR VARIOUS MEETINGS

Secretary/Establishment	4,466.50	
Members of Council	1,96,150.25	
Members of Executive Committee	28,809.80	
Members of Education Committee (Ay)	23,029.90	
Members of Education Committee (Unani)	9,624.40	
Members of Education Committee (Biddha)	160.00	
Members of Registration Committee	14,322.20	
Members of Selection Committee	145.90	
Members of Sub-Committee	960.30	
Members of Visiting Committee	6,169.50	
	<u>2,83,838.75</u>	
Add. TA/DA as a result of adjustment of advance of last year 1983-84,	3,332.00	2,87,170.75
Council's Contribution		13,880.50

TOTAL 8,38,119.33

TOTAL 8,38,119.33

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

NEW DELHI-110055

BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 1985

	LIABILITIES	AMOUNT	AMOUNT	1983-84	ASSETS	AMOUNT	AMOUNT
	General Reserve				Furniture & Fixture (A)		
3,83,481.43	As per Last Balance Sheet	3,04,169.15		69,682.92	As per last Balance Sheet	69,715.98	
11,930.39	Less-Redemption during the year	6,667.10		1,485.00	Addition during the year	—	
3,71,551.04		2,97,502.05		71,169.92		69,715.98	
67,381.89	Less-Excess of Expenditure over	671.56		1,451.94	Redemption during the year	—	69,715.98
	Income						
3,04,169.15		2,96,830.49		69,715.98			
	Add-Adjusted amount	22.19	2,96,852.68		Library Books (B)		
				13,404.98	As per Last Balance Sheet	16,232.63	
	Sundry Creditors			2,838.00	Addition during the year	217.00	
	(a) Press Advertisement (Plan)						
2,80,000.00	As per Last Balance Sheet	4,40,000.00		16,242.98		16,449.63	
1,60,000.00	Addition during the year	1,00,000.00		85.35	Redemption during the year	—	
4,40,000.00		5,40,000.00		16,157.63		16,449.63	
—	Less Adjusted upto the year	3,80,445.49	1,59,554.51	75.00	Add-Adjustment 1982-83	—	16,449.63
4,40,000.00				16,232.63			
					Office Equipments (C)		
	(b) Liabilities towards membes of Staff			1,46,600.72	As per Last Balance Sheet	1,38,573.16	
				290.20	Addition during the year	—	
137.50	(a) Contribution for Group Insurance Scheme	137.50		1,46,890.92		1,38,573.16	
				8,317.76	Redemption during the year	6,667.10	1,31,906.06
100.00	(b) Subscription towards C.P. Fund	100.00		1,38,573.16			
33.80	(c) Undisbursed amount of DA/ADA	33.80		40,612.87	Air Cooling Appliances (D)		
				—	As per Last Balance Sheet	38,537.53	
271.30		271.30		—	Addition during the year	—	
—	Less-Redemption during the year	271.30	Nil	40,612.87		38,537.53	
271.30				2,075.34	Redemption during the year	—	38,537.53
				38,537.53			
7,44,440.45	Balance C/F	4,56,407.19	2,63,059.30		Balance C/F	2,56,609.20	

7,44,440.45		Balance B/F	4,56,407.19	2,63,059.30	Balance B/F	2,56,609.20
	(d) Undisbursed amount of HRA				Loans and Advances	
41.19	As per last Balance Sheet	41.19			(a) Advance to Staff	
—	Less-Redemption during	41.19	Nil		(i) Festival Advance	
	the year			2,145.00	As per last Balance Sheet	1,480.00
41.19				3,220.00	Addition during the year	2,600.00
	(e) Undisbursed amount of CCA			5,365.00		4,080.00
12.33	As per Last Balance Sheet	12.33		3,885.00	Less Recoveries during the year	2,920.00
—	Less-Redemption during	12.33	Nil			1,160.00
	the year			1,480.00		
12.33						
	(f) Uncash Old Chaques			283.00	(ii) Cycle Advance	
2,851.68	As per Last Balance Sheet	2,851.68		825.00	As per Last Balance Sheet	583.00
—	Less Redemption during	2,479.10	372.58		Addition during the year	550.00
	the year			1,108.00		1,133.00
2,851.68				525.00	Less Recoveries during the year	850.00
						283.00
	(g) Amount received from World Health Organisation for organising the seminar.		29,000.00	583.00		
	Contributory Provident Fund				(iii) Scooter Advance	
69,377.26	Council's Contribution	82,905.46		3,000.00	As per Last Balance Sheet	1,800.00
1,10,935.10	Employees Subscription	1,34,216.10		3,500.00	Addition during the year	—
65,500.79	Interest payable to Subscription	85,868.61	3,02,990.17	6,500.00		1,800.00
2,45,813.15				4,700.00	Less-Recoveries during the year	1,500.00
				1,800.00		300.00
79.90	Subscription of Employees		60.00		(b) Advance to Members	
				4,800.00	As per Last Balance Sheet	3,332.00
				3,332.00	Addition during the year	3,200.00
				8,132.00		6,532.00
				4,800.00	Less-Recoveries during the years.	3,332.00
				3,332.00		3,200.00
9,93,238.70	Balance C/F		7,88,829.94	2,70,254.30	Balance C/F	2,61,552.20

138.70

Balance B/F

7,88,829.94

2,70,254.30

Balance B/F

2,61,552.20

(c) Advance for Advertisement

(i) Plan (D.A.V.P.)

2,80,000.00 As per last balance sheet
 1,60,000.00 Addition during the year

4,40,000.00
 1,00,000.00

4,40,000.00

5,40,000.00

Less-Adjusted through DAVP

3,76,520.02

1,63,479.98

Less Adjust through others

1983-84 2785.47

1984-85 1140.00

3,925.47

1,59,554.51

4,40,000.00

(ii) Plan (others)

2,785.47 As per last Balance Sheet
 — Less Redeemed

2,785.47
 2,785.47

Nil

2,785.47

(iii) NonPlan

2,843.18 As per Last Balance Sheet
 — Less Adjusted

2,843.18
 2,843.18

Nil

2,843.18

0.10

(d) Suspense Account

0.10

Cash & Bank Balance as on 31.3.88

3,825.75 Stamps in Franking Machine
 99.20 Stamps in hand
 235.85 Cash in hand
 27,381.70 Cash at Bank in Current A/c with Bank of India

2,240.50
 69.30
 500.00
 61,923.16

64,732.96

31,542.50

Contributory Provident Fund

(a) Investment

1,30,000.00 As per Last Balance Sheet
Addition during the year
 50,000.00 In Monthly Income Certificate
 30,000.00 In Special Deposit Scheme
 — In National Saving Certificate

1,00,000.00
 —
 60,900.00
 55,000.00

2,10,000.00

1,15,900.00

10,000.00

Less-Redeemed during the year

65,000.00

2,50,900.00

2,00,000.00

93,238.70

Balance C/F

7,88,829.94

9,47,425.55

Balance C/F

7,36,739.77

9,93,238.70

9,93,238.70

Balance B/F

7,88,829.94

9,47,425.55

(a) Advance the Advertisement

(i) Plan (D.A.V.S.)

As per last balance sheet

Add during the year

Less Adjusted through L.V.P.

Less Adjust through others

1947-48 2783.47

1948-49 1140.00

(ii) Plan (Others)

As per last balance sheet

Less Adjusted through L.V.P.

(iii) Suspense Account

As per last balance sheet

Less Adjusted through L.V.P.

(c) Cash & Bank Balance as on 31.3.85

TOTAL

7,88,829.94

9,93,238.70

Balance B/F

7,36,739.77

(b) Loan to Staff

As per last Balance Sheet

Addition during the year

Less Recoveries during the year

(c) Cash & Bank Balance as on 31.3.85 with Bank of India

13,238.15

9,93,238.70

TOTAL

7,88,829.94

20,320.00

43,700.00

64,020.00

31,445.00

32,575.00

Balance B/F

7,36,739.77

32,575.00

15,370.00

47,945.00

25,660.00

22,285.00

29,805.17

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE, NEW DELHI

Contributory Provident Fund-Balance Sheet as on 31st March, 1985

1983-84	LIABILITES	AMOUNT	AMOUNT	1983-84	ASSETS	AMOUNT	AMOUNT
	Council's Contribution				In Saving Bank with Bank of India		
53,240.16	As per Last Balance Sheet	69,377.26		13,238.15		—	29,805.17
16,136.40	Addition—During the year	13,880.50			Fixed Deposits		
					(A) With Bank of India		
69,377.26		83,257.76			As per per Last Balance Sheet		
	Less—Transferred in Current A/c during the year	352.30	82,905.46	1,20,000.00	Addition during the year	1,70,000.00	
				50,000.00			
69,377.26				1,70,000.00	Less Redemed	65,000.00	1,05,000.00
	Employee's Subscription						
87,450.10	As per Last Balance Sheet	1,10,935.10		1,70,000.00	(B) In Special Deposit Scheme		
24,474.73	Addition—During the year	23,281.00			As per Last Balance Sheet	30,000.00	
					Addition during the year	60,900.00	90,900.00
1,11,924.83		1,34,216.10		30,000.00			
989.73	Less—Payment during the year	—	1,34,216.10	30,000.00	(C) In National Saving Certificate (7th Issue)		
					As per Last Balance Sheet	—	
1,10,935.10				30,000.00	Addition during the year	55,000.00	55,000.00
	Interest on Council's Contribution & Employees Subscription						
48,996.41	As per Last Balance Sheet	65,500.79			Loan to Employees		
16,746.61	Addition—During the Year	20,380.67			As per Balance Sheet	32,575.00	
					Addition during the year	15,370.00	
65,743.02		85,881.46					
	Less—Payment transferred in Current A/c during the year	12.85	85,868.61		Less—Refund during the year	25,660.00	22,285.00
242.23				20,320.00			
65,800.79				43,700.00			
				64,020.00			
				31,445.00			
				32,575.50			
2,48,813.15	TOTAL		3,02,990.17	2,45,813.15	TOTAL		3,02,990.17

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
NEW DELHI-110055

(Plan Scheme)

STATEMENT OF AFFAIRS FROM 1980-81 TO 1984-85

Grant-in-aid received from Ministry of Health & Family Welfare, New Delhi as under.	Amount paid to DAVP by Council in Advance is as under	Expenditure incurred by DAVP & informed to Council is as under.	Debit/Credit balance of Council in DAVP is as under
1980-81	20,000.00	—	—
1981-82	1,00,000.00	1,20,000.00	Cr. 93,279.80
1982-83	1,60,000.00	1,60,000.00	Cr. 38,637.00
1983-84	1,60,000.00	1,60,000.00	Cr. 85,613.57
1984-85	1,00,000.00	96,074.53	Cr. 57,975.86
Total	5,40,000.00	5,36,074.53	Cr. 2,17,530.37
			Less Cr. 57,975.86
			Cr. 1,59,554.51

Amount paid to others for Advertisement as under :

1983-84	—	2,785.40
1984-85	3,925.47	1,140.00
	<u>3,925.47</u>	<u>3,925.47</u>

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
NEW DELHI-110055
PLAN SCHEME

Grant-in-aid received from Ministry of Health & Family Welfare, New Delhi from 1980-81 to 1984-85		5,40,000.00
Amount paid to DAVP by Council in Advance from 1981-82 to 1984-85	5,36,074.53	
Amount paid to others by Council from 1983-84 to 1984-85	3,925.47	5,40,000.00
Less-Expenditure incurred through DAVP from 1981-82 to 1984-85	3,76,520.02	
Expenditure incurred through other from 1983-84 to 1984-85	3,925.47	3,80,445.49
Cr. Balance in DAVP on 31.3.1985		1,59,554.51

Balance Sheet 1984-85

Liability	1,59,554.51
Assets	1,59,554.51